

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 मई, 1975

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

## विशय सूची

सोमवार, 5 मई, 1975

पृष्ठ

संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (1) 1

नियम 45 के अधीन सदन के मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर (1) 23

भोक प्रस्ताव (1)

25

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं— (1)

36

(क) सभापति तालिका (1) 36

(ख) याचिका समिति (1) 37

सदन के मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र (1)

38

सचिव द्वारा घोशणाएं (1) 38

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण

संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पे ा करना (1)

39

सरकारी संकल्प— (1)

40

दी फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट

एंड वैलीडे ान बिल, 1975 (1)

52

दी पंजाब अरबन इम्मूवबल प्रापर्टी टैक्स (हरियाणा अमेंडमेंट)

बिल, 1975 (1) 59

दी इंडियन इलैक्ट्रिसीटी (हरियाणा अमेंडमेंट एंड वैलीडे ान)

बिल, 1975 (1) 65

# हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 5 मई, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान  
भवन,

सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

**Mr. Speaker:** The Question Hour.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

## **Rationed Coarse Cloth**

**\*1343. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the  
Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

- (a) the quantity of rationed coarse cloth, if any, distributed in the State and also district wise, separately, during the period between 1-14-1974 to 31-3-1975;
- (b) the quantity if any, of the said cloth fixed for distribution per capita per annum;

- (c) whether the people of every village in the State are being supplied the said cloth in full quantity;
- (d) if not, the reasons therefore; and
- (e) the arrangements made to make the said cloth available in every village?

**Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):**

- (a) A Statement containing the requisite information is placed on the table of the House.
- (b) No. quantity has been fixed for distribution on per capita per annum basis but 10 meters of cloth per ration card per quarter is being allowed.
- (c) 198 retail depots of controlled cloth are functioning at present in the rural areas from where the consumers are entitled to draw 10 meters of controlled cloth per ration card in every three months, within the over all allocations given by the Government of India.
- (d) In view of reply at (c) above, question does not arise.
- (e) 198 retail depots of controlled cloth have already been setup in rural areas and instructions have been issued to ensure that every block has four such depots.



**Statement showing No. of bales of controlled cloth on bale consists of 1500  
(approximately) meters distributed in Haryana, District wise and month wise from  
April 1974 to March 1975.**

Sr. No.	Name of District	April 1974	May 1974	June 1974	July 1974	Aug. 1974	Sep. 1974	Oct. 1974	Nov. 1974	Dec. 1974	Jan. 1975	Feb. 1975	March 1975	Total
1	Ambala	52	98¼	151¾	153½	93	104	80	69	64	116	241	155½	1378
2	Bhiwani	33¼	58	91¼	79	59¼	64	47	43	40	75	144	101	834¾
3	Gurgaon	63	119¼	178	164¾	108½	119	92	76¾	59¾	102	209¼	136½	1428¾
4	Hissar	41¾	138	229½	189¼	130	146	117	93	84½	146	265	176¾	1756¾
5	Jind	30½	60¾	96	90	10¼	70½	56	45	36	81¾	163	70	859¾
6	Karnal	52	99	163	153	101	107	91	71	68	116	220	128½	1369½

7	Kurukshetra	52	80	134	118 $\frac{3}{4}$	70	84 $\frac{3}{4}$	72	51 $\frac{1}{2}$	44	95 $\frac{3}{4}$	187 $\frac{1}{2}$	150	1140 $\frac{3}{4}$
8	Narnaul	31	74	133	111 $\frac{1}{2}$	70 $\frac{1}{2}$	85	69	55 $\frac{1}{4}$	50	89	153	159 $\frac{1}{2}$	1080 $\frac{3}{4}$
9	Rohtak	38	84	128	101 $\frac{1}{4}$	71 $\frac{1}{2}$	76	60	51	46	84	186 $\frac{1}{2}$	106 $\frac{1}{2}$	1032 $\frac{3}{4}$
10	Sonepat	42	53	86	70	49	95	76	60 $\frac{1}{2}$	42	81	153	104 $\frac{1}{2}$	912
Total		435 $\frac{1}{2}$	864 $\frac{1}{4}$	1390 $\frac{1}{2}$	123 1	813	951 $\frac{1}{4}$	760	616	534 $\frac{1}{4}$	986 $\frac{1}{2}$	1922 $\frac{1}{4}$	1288 $\frac{3}{4}$	11973 $\frac{1}{4}$



## तारांकित प्र न एवं उत्तर

(इस समय चौधरी देवी लाल तथा चौधरी हरस्वरूप सिंह बुड़ा  
सदन मे आये ।

अपोजी इन बेंचिज की और से थम्पिंग।)

**चौधरी ि तव राम वर्मा:** जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे कहा है कि डिस्ट्रिक्ट्यू इन की कोई क्वांटिटी फिक्स नही की हुई है, यानी कि पर व्यक्ति कितना कपड़ा दिया जायेगा उसकी मिकदार तय नही की हुई है तो मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जो एक रा इन कार्ड पर दस मीटर क्वाटरली फिक्स किया हुआ है, क्या उससे उनका काम चल जायेगा ?

**श्री भयाम चंद:** हमें हर महीने 810 बैल्ज मिलती है। एक बेल मे 1500 मीटर कपड़ा होता है। हमें जितना ज्यादा कपड़ा मिलेगा हम उतना ही ज्यादा लोगों को देंगे। पहले हमें केवल 405 बैल्ज ही मिलते थे, अब हमने बढ़वाये है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जितना कपड़ा आता है, क्या देहाती और भाहरी इलाकों के लिए कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतना कपड़ा देहाती इलाके को दिया जायेगा और इतना भाहरी इलाके को दिया जायेगा ?

**Shri Shyam Chand:** Sir, the question pertains to rural areas.

**चौधरी िव राम वर्मा:** जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में पढ़ा है कि सारे हरियाणा में 198 डिपों खोले हुए हैं। सारे हरियाणा में तो 6670 गांव हैं तो इन 198 डिपुओं से कैसे काम चलेगा ? क्या उन्होंने यह महसूस नहीं किया है कि इन डिपुओं से काम नहीं चलेगा ? तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि एक डिपो पर अगर दस-पंद्रह गांव होंगे तो दस मीटर कपड़ा लेने के लिए कौन जायेगा ? हर एक गांवों में डिपों का प्रबंध क्यों नहीं कर रहे हैं ?

**श्री भयाम चंद:** जैसा कि अभी मैंने बताया है कि 810 बेल्ट हमें हर महीने मिलती है। अगर छः हजार डिपों खोल दें तो पांच-पांच गज कपड़ा भी नहीं आता है।

**चौधरी दलसिंह:** स्पीकर साहब, क्वै चन का जवाब तो मिनिस्टर साहब के पास होता है या गवर्नमेंट के पास होता है। हमें तो उस जवाब का पता ही नहीं होता है। मिनिस्टर साहब को सवाल का जवाब तो पूरा पढ़ना चाहिए। जब तक हमें जवाब का ही पता नहीं होगा तो हम क्वै चन क्या पूछेंगे ?

**श्री भयाम चंद:** क्वै चन तो लिस्ट में दिया है और उसका जवाब मैंने पढ़कर सुना दिया है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि एक डिपो कितने गांवों को कवर करता है ?

**श्री भयाम चंद:** स्पीकर साहब अब हरियाणा में कुल 198 डिपों देहातो में है। हमने डी.सी. को चिट्ठी लिखी है कि एक ब्लॉक में चार डिपों होने चाहिए। इस तरह से सारे हरियाणा में चार सौ डिपों खुज जायेंगे। दो बेल्ट एक डिपों पर जायेंगी।

**चौधरी िव राम वर्मा:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि देहातों में जो कपड़ा मिलता है यह बहुत थोड़ा मिलता है। एक गरीब आदमी को जो चीज पूरी मिलती ही नहीं है, उसका क्या लाभ है ? दस मीटर से उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है। क्या कभी सरकार ने कोर्सा की है कि उनको पूरा कपड़ा दिया जाये, जितनी उनकी जरूरत है ?

**श्री भयाम चंद:** पहले प्राइवेट मिल वाले मैनुफैक्चर करते थे और पेपर्ज में भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने कमेंट्स दिये हैं कि कोर्स क्लौथ बनाया जाये। It is like a bandage material इसके बाद पब्लिक सेक्टर में टैक्सटाइल मिले हैं उनको आदेश दिये हैं कि कोर्स कपड़ा ज्यादा से ज्यादा मैनुफैक्चर करें ताकि कौमन आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा पहंचे।

**चौधरी पीर चंद:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हिसार जिले में जो डिपो खोले हैं उनमें से कुल कितने चालू हैं ?

**श्री भयाम चंद:** हिसार में 24 डिपों हैं।

**राव बंसी सिंह:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि एक डिपों कितने मील के फासले पर खोला हुआ है ? क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया मुकर्रर करेंगे ?

**श्री भयाम चंद:** हमने डी.सी.जी. को चिट्ठी लिखी है कि एक ब्लॉक में चार डिपों खोले जाएं।

**श्री गिरी । चंद्र जो जी:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनके पास यह डिपार्टमेंट के पास कपड़े की डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कोई रिक्वायरेमेंट आयी है, यदि आयी है तो कितनी आयी है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री भयाम चंद:** किसी एम.एल.ए. ने तो कोई चिट्ठी लिखी नहीं है।

**चौधरी दलसिंह:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो डिपों खोल रखे हैं उन पर रैगुलर सप्लाय है या नहीं ? अगर रैगुलर सप्लाय नहीं है तो क्या कोई आवासन देंगे कि फ्लांट टाइम तक रैगुलर सप्लाय भुरु कर देंगे ?

**श्री भयाम चंद:** अध्यक्ष महोदय मैंने बताया है कि परमन्थ हमें 810 बेल्ट मिलती है वही हम दे देते हैं। हमने अपनी परसनल ऐफेक्ट्स से मार्च, 1975 में 1288 बेल्ट लिए हैं, फरवरी, 1975 में 1922 बेल्ट और जनवरी, 1975 में 986 बेल्ट लिए हैं और आये महीने हम पूरा कोटा लेते हैं। पिछले महीने डायरेक्टर सप्लायज ने 1055 बेल्ट के लिए जिनमें धोती के जोड़े हैं, जो हम

फार्मर्ज को बोनस के रूप में देंगे, गवर्नमेंट आफ इंडिया से क्यूमिटमेंट ली है। इस तरह से हम को ि । । कर रहे हैं।

**श्रीमती चन्द्रावती:** क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या कन्ट्रोल का कपड़ा हर डिपों पर जाता है ? अगर हर डिपों पर जाता है तो क्या हर कार्ड होल्डर को मिलता है ?

**श्री भयाम चंद:** हर डिपों पर जाता है पर हर कार्ड होल्डर को नहीं मिलता क्योंकि कपड़े की कमी है।

**श्री के.एन. गुलाटी:** क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कोर्स कपड़े की कमी को देखते हुए तीन सौ रूपये तक की आमदनी वाले को यह कपड़ा दे दिया जाये और ज्यादा वाले को न दिया जाये, ऐसी कोइ तजवीज करेंगे?

**श्री भयाम चंद:** देहातों में तो सारे ही गरीब आदमी होते हैं। उन सभी को देना पड़ता है।

**चौधरी ि िव राम वर्मा:** क्या वजीर साहब बतायेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कपड़ा मिलों को कहा गया है कि वे कोर्स कपड़ा बनाये ताकि गरीबों को दिया जा सके। तो मैं यह जानता हूँ कि हरियाणा में जो कपड़े की मिले हैं उन्होंने कितना कोर्स कपड़ा बनाया है ?

**श्री भयाम चंद:** हरियाणा में कितना कपड़ा मिलता है, उसका मैंने जवाब दे दिया है। हरियाणा में कितना कपड़ा मिलें

बनाती है, यह इन्डस्ट्री मिनिस्टर साहब से पता करे। मेरा सब्जैक्ट नहीं है।

### **Irrigation Projects**

**\*1332. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the details of irrigation projects completed during the periods from 1-11-1966 to 31-5-1968 and from 1-6-1968 to 31-3-1975, separately: and
- (b) the acreage of land brought under irrigation annually by each such project during the periods referred to in part (a) above?

**State Minister for Irrigation & Power (Sardar harmohinder Singh Chatha):**

- (a) A statement is placed on the table of the House.
- (b) A statement is placed on the table of the House.

#### **Statement for part (a)**

- i. Irrigation projects completed from 1-1-1966 to 31-5-1968
- ii. Irrigation projects completed from 1-1-1968 to 31-5-1975, are :-
  - 1. Jui lift Irrigation Scheme.

2. Indira Gandhi Lift Irrigation Scheme State-I.
3. Birendra Narain Chakravarty lift Irrigation Scheme, State I.II and III.
4. Jhajjar lift Irrigation scheme (part of Jawahar Lal Nehru Lift Irrigation scheme).
5. The Augmentation Canal.
6. Lined parallel Delhi Branch.
7. Bhakra Main Line Barwala Link.
8. Installation of 100 augmentation tubewells along Western Yamuna Canal.
9. Installation of 128 augmentation tubewells along Delhi Parallel branch.
10. Installation of 100 augmentation tubewells along Bhakra Main Branch and Ratia Branch.

**Statement for part (b)**

The acreage of land, brought under irrigation annually, by the completed projects, during the periods referred to in part (ii) is as under: -

	Name of Scheme	Year	(in acres/hectares)			
		1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
1	Jui lift irrigation	633/	6459/	11108/	12984/	15136/

	scheme	256	2614	5495	5254	6125
2	Indira Gandhi lift irrigation scheme	---	4254/ 1722	13279/ 5374	20838/ 8433	24239/ 9809
3	Birendera Narain Chakravarty lift irrigation scheme	---	--	3482/ 1409	11056/ 4474	16641/ 6734
4	Jhajjar lift irrigation scheme (Part of Pandit Jawahar Lal Nehru lift irrigation scheme)	---	--	--	4066/ 1645	1197/ 484
5	Augmentation Canal	No direct irritation from this scheme.				
6	Lined parallel Delhi Branch	No direct irritation from this scheme.				
7	Bhakra Main Line Barwala Link	No direct irritation from this scheme.				
8	Installation of 100 augmentation	No direct irritation from this scheme.				



	tubewells along Nerawna Branch		
9	Installation of 128 augmentation tubewells along Western Yamuna Canal	No direct irritation from this scheme.	
10	Installation of 100 augmentation tubewells along Delhi Parallel Branch	No direct irritation from this scheme.	
11	Installation of 110 augmentation tubewells along Bhakra Main Branch and Ratia Branch	No direct irritation from this scheme.	

## तारांकित प्र न एवं उत्तर

**चौधरी दलसिंह:** मेरी जो सवाल का जवाब है उसको पूरा पढ़ दिया करे। सप्लीमेंटरी तो तभी पूछेंगे जब वे पूरा जवाब पढ़ेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** इस क्वै चन का पूरा जवाब पढ़ दें।

(इस समय तारांकित प्र न सं. 1332 के (क) तथा (ख) भागों के उत्तर मे सदन की मेज पर रखे गए विवरण सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा ने पढ़े।)

**चौधरी दलसिंह:** क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने ये जो प्रोजैक्टस बनाये है, इनकी मेन्टेनेन्स पर एक साल मे तकरीबन कितना रूपया खर्च आता है ?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** स्पीकर साहब, अभी मेन्टेनेन्स के खर्च के बारे मे नही बता सकते क्योकि जब-जब मेन्टेनेन्स की जरूरत होगी, खर्च किया जायेगा। किसी का साल बाद मेन्टेनेन्स होगा तो किसी का छः महीने बाद, और फिर ये सब नयी स्कीमें है। जब इनकी मेन्टेनेन्स भुरु करेंगे तब इसकी इन्फर्मे ान दी जा सकेगी लेकिन अभी यह इन्फर्मे ान अवेलेबल नही है।

**चौधरी दलसिंह:** क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो यह प्रोजैक्टस बताये है इनसे 1973-74 में प्रोजैक्टवाइज कितने एरिया की इरीगे तन हुई है ?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** 1973-74 वर्ष की इन्फर्मे तन इस प्रकार है: जुई लिफ्ट इरीगे तन स्कीम : 5254 हैक्टेयर्ज, इन्दिरा गांधी लिफ्ट इरीगे तन स्कीम : 8433 हैक्टेयर्ज, वीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती लिफ्ट इरीगे तन स्कीम : 4474 हैक्टेयर्ज, और झज्जर लिफ्ट इरीगे तन स्कीम : 1645 हैक्टेयर्ज।

**Chaudhri Mehar Chand:** May I know from the Hon. Minister as to what new projects are in progress and are to be taken in hand during the current financial year and what additional gross area is likely to be irrigated from such projects?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** सर, ये जो प्रोजैक्टस है इनके मुताल्लिक यह इन्फर्मे तन है कि जो कल्चरेबल कमान्डेबल एरिया होगा वह जुई कैनल का 26,563 हैक्टेयर, इन्दिरा गांधी कैनल का 1 लाख 6,715 हैक्टेयर, बिरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कैनल का 73,563 हैक्टेयर और झज्जर लिफ्ट इरीगे तन स्कीम का 11,655 हैक्टेयर।

**चौधरी मेहर चंद:** स्पीकर साहब, मेरा जो प्वायंट था, वह आनसर नहीं हुआ। मैंने यह पूछा था कि आपने कम्प्लीट प्रोजैक्टस की पिक्चर तो दे दी है लेकिन इसके अलावा भी क्या

कोई प्रोजैक्स हरियाणा मे इन हैंड है, अगर है तो वह कौन से है और उनसे कितना एरिया इरीगेट होने का इमकान है ?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** स्पीकर साहब, ये प्रोजैक्टस कम्पलीट होने के बाद इनकी कैपेसिटी रेज की जा रही है और इ स वजह से उनमु कुछ पानी ऐक्सट्रा भी जायेगा हांसी ब्रांच की लाइनिंग कम्पलीट हो जायेगी तो 50 क्यूसिक्स पानी उससे बचेगा। जो जो नहरे लाइनिंग हो चुकी है, वह तो हमने बता दी है जैसे कि बुटाना की लाइनिंग in progress है और हांसी की बिल्कुल थोड़ी सी रह रही है।

**चौधरी मनफूल सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इन सब प्रोजैक्टस के बनाने पर total cost of construction कितना आया ?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** स्पीकर साहब, कास्ट का टोटल तो मैंने नहीं किया है, हरेक प्रोजैक्ट का अलग अलग खर्च बता देता हूं। जूई लिफ्ट इरीगे इन स्कीम 3 करोड़ 31 लाख, इंदिरा गांधी इरीगे इन स्कीम 16 करोड़ बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती लिफ्ट इरीगे इन स्कीम 14 करोड़ और झज्जर लिफ्ट इरीगे इन स्कीम 1 करोड़ रुपया।

**चौधरी देवी लाल:** स्पीकर साहब, क्या मैं सरकार से यह पूद सकता हूं कि इन प्रोजैक्टस के अलावा भी राजस्थान कैनाल से पून के महीने मे कुछ पाली पम्प आउट करने की स्कीम

बनायी गयी थी जिसके तहत चार-पांच कैनल्ज पर पम्प रेट किये थे, एक महीने तक पानी चला लेकिन बाद में नहीं चला ? क्या ऐसी कोई स्कीम है जिससे कि राजस्थान कैनल से हरियाणा को पानी दिया जा सके ? (व्यवधान)

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि फ्लड डेज में जब पॉंग डैम में तीन लाख एकड़ फीट पानी जमा हो गया और उसको राजस्थान व पंजाब, दोनों प्रदेशों में यूटेलाइज नहीं कर पाये और उल्टे उनको यह खतरा हो गया कि यह पानी हमारी फसलों को डैमेज करेगा तो राजस्थान सरकार ने हमसे बात की कि अगर आप पानी यूटेलाइज करना चाहे तो कर सकते हैं।

**Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):** I would like to intervene. मेरा यह ख्याल है कि जिन आनरेबल मੈम्बर्स को यह इन्फॉर्मेशन लेनी हो वे प्राइवेटली इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर से ले लें। It will not be in the interest of the State to disclose it on the floor of the House.

**चौधरी देवी लाल:** चार-पांच नहरों में पानी चलता रहा है लेकिन फिर वह बन्द हो गया, इसका कारण क्या है, हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं ?

**चौधरी बंसी लाल:** स्पीकर साहब, हमें कारण बगैरा बताने में कोई एतराज नहीं है। आनरेबल मੈम्बर इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर से प्राइवेट तौर पर पूछ लें, वे सब नहरों की

डिटेल तौर पर पूछ ले, वे सब नहरों की इंफर्मे ान बता देंगे। We have nothing to conceal from the hon. Member. लेकिन अगर यह चीज हाउस में आयेगी, पेपर में आयेगी तो उसका अलटा रिजल्ट भी हो सकता है। अगर वह पब्लिक में न आयेगा तो भायद जो वह चाहजते है वह हो जाये।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि इन प्रोजैक्टस से जिलेवार कितना कितना एरिया इरीगेट होता है ?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** स्पीकर साहब, जिलेवार इरीगे ान नहीं होती और मोर ओवर हमारे सरकल भी जिलेवार नहीं होते।

**चौधरी दलसिंह:** मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया है कि 1973-74 में जई कैनल से 5254 हैक्टेयर्ज एरिया सैराब हुआ। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि एक हैक्टेयर या एक एकड़ एरिया पर इरीगे ान का कितना खर्च आता है ?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** सर, यह सवाल तो इससे पैदा ही नहीं होता।

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा सरकार का कोड भी विभाग कमि ियल विभाग नहीं है। इसमें यह हिसाब नहीं लगाया जाता कि आमदनी कितनी होनी है और खर्च कितना होना है। सवाल

यह पैदा होता है कि किस एरिया के जमींदारों को कितनी सुविधा पहुंचायी जाये।

**चौधरी देवी लाल:** क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि भाखड़ा की टेल पर जो आखिर में पानी इकट्ठा होता है, ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट है कि गांव वाले इकट्ठे होकर हरेक घर से पैसे इकट्ठे करके 15-15 हजार रुपये एस. डी. ओ. को दे और फिर जिधर चाहे उधर वह पानी छोड़ दे? इसके अलावा मैं ऐसे चार गांवों का नाम भी ले सकता हूँ। मैं उन्हें आई.पी.एम. के नोटिस में भी लाया हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** यह सवाल तो मैं कब से पैदा ही नहीं होता।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** क्या मिनिस्टर महोदय यह बतायेंगे कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताये है, उनके भ्रू होने के बाद कितना नया एरिया नहर के पानी के नीचे आया है और जो ट्यूबवैल्ज इन्होंने गिनाये हैं कि फलां-फलां नहर पर आगुमेंटे इन ट्यूबवैल्ज लगाये हैं, उनकी वजह से कितने रकबे के ऊपर प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से खेती में कमी हुई है? मेरे पूछने का भाव यह है कि इधर कितना बढ़ा है और उधर कितना घटा आगुमेंटे इन ट्यूबवैल्ज की वजह से हुआ है?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हरियाणा में सन् 1968 में जो टोटल एरिया अंडर इरीगे इन था,

32 लाख 23,734 एकड़ और जितने भी प्रोजेक्ट्स इस अर्से में कामयाब हुए, उन सब के बनने के बाद यह एरिया बढ़कर 40 लाख 87,667 एकड़ हो गया । यानी 8 लाख 63,900 एकड़ ज्यादा एरिया को इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद पानी दिया गया है । जहां तक कम होने का सवाल है, कहीं भी ट्यूबवैल लगने की वजह से किसी एरिया में कमी नहीं हुई ।

**चौधरी चांद राम:** मिनिस्टर साहब ने जो यह बताया है कि 8 लाख से कुछ ज्यादा रकबा अंडर इरीगे इन बढ़ा है, क्या उसमें जो प्राइवेट ट्यूबवैलज द्वारा इरीगे इन होती है वह एरिया भी शामिल है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** इसमें यह सभी शामिल हैं

**चौधरी चांद राम:** क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि प्राइवेट ट्यूबवैलज का एरिया काटकर गवर्नमेंट की तरफ से जो कोर्षा हुआ है, उससे कितनी सिंचाई हुई है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अध्यक्ष महोदय, अलग अलग फिगरज मेरे पास नहीं हैं । अगर वे जानना चाहेंगे तो हम इनको ये फिगरज दे देंगे ।

**श्री गिरी । चन्द्र जो शि:** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1.11.1966 से लेकर 31.5.1968 तक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनी, इसका क्या कारण है ?



**श्री बनारसी दास गुप्त:** यह तो ये लोग ही बता सकेंगे, जो उन दिनों पावन में थे।

**चौधरी विठ्ठल राम वर्मा:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि करनाल सर्कल में कितना रकबा बढ़ा है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अलाहिदा-अलाहिदा डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगरज तो मेरे पास कहीं की नहीं है।

**चौधरी चांद राम:** स्पीकर साहब, प्रश्न के 'ख' भाग में पहले ही पूछा गया है कि 'क' भाग में जो सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई हैं, उनमें से प्रत्येक परियोजना द्वारा प्रतिवर्ष कि कितने एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई। क्या मंत्री महोदय यह ब्योरा देने की कृपा करेंगे ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** यह ब्योरा हमारे पास है और यह प्रोजेक्ट वाइज बयौरा है जो इस प्रकार है—

**जुई लिफ्ट इरीगेशन स्कीम**

<b>1970-71</b>	<b>638 एकड़</b>
<b>1971-72</b>	<b>6,459 एकड़</b>
<b>1972-73</b>	<b>11,108 एकड़</b>
<b>1973-74</b>	<b>12,904 एकड़</b>

1974-75	15,136 एकड़
---------	-------------

इंदिरा गांधी लिफ्ट इरीगे ान स्कीम

1970-71	नहीं
1971-72	4,254 एकड़
1972-73	13,279 एकड़
1973-74	20,838 एकड़
1974-75	24,239 एकड़

बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती लिफ्ट इरीगे ान स्कीम

1972-73	3,482 एकड़
1973-74	11,056 एकड़
1974-75	16,641 एकड़

झज्जर लिफ्ट इरीगे ान स्कीम

1973-74	4,066 एकड़
---------	------------

1974-75	1,197 एकड़
---------	------------

**चौधरी दलसिंह:** जो फिगरज मिनिस्टर साहब ने दी है, उनसे ऐसा जाहिर होता है कि इरीगे ान की तादाद 500 प्रति ात बढ़ी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन से नए प्रोजैक्टस बनाए गए और कहां से पानी लाया गया जिससे कि इतनी इरीगे ान बढ़ी है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये जितने भी नए प्रोजैक्टस बने हैं, उनमें हमने बहुत सारी चैनलज को लाईन किया । जो पानी पहले जमीन के अन्दर जजब होता था उन चैलेलज को पक्का करके वह पानी बचाया और काफी तादाद में डीप ट्यूबवैलज और आगमेंटे ान ट्यूबवैलज लगाए और इन ट्यूबवैलज से डबल्यू. जे. सी. में पानी डाला और वह तमाम पानी नई बनाई गई नहरों को किदया। जमुना के अन्दर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के दिनों में बहुत सारा पानी ऐसा होता है जो नहर में नहीं डाला जा सकता हमने इन प्रोजैक्टस को बनाकर बाढ़ के उस पानी को ऐसे इलाकों को दिया जहां कि एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था।

**चौधरी पीर चंद:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रोजैक्टस से कितनी पैदावार बढ़ी है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** मैंने आपके सामने जो फिगरज दी है वह रकबे की दी है कि इतने रकबे को पानी लग रहा है।

कितने फसल पैदा हुई, इसकी फिगर मेरे पास नहीं है। .....  
(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहना हूँ कि जो टोटल इरीगे इन के रकबे की फिगर मैंने दी है उसमें केवल नहर का पानी और डायरेक्ट ट्यूबवैल्ज का पानी लगता है, प्राइवेट ट्यूबवैल्ज इसमें शामिल नहीं है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हमारे पास सरकिल वाईज इंफरमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट वाईज नहीं होती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हिसार सरकिल में डिस्ट्रिक्ट भिवानी को कितना पानी दिया गया और उससे कितना फायदा हुआ है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** स्पीकर साहब, सरकिल वाई फिगर मेरे पास नहीं है कि कितना पानी दिया गया अगर फायदे की बात आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ कि किस प्रोजेक्ट से किस जिले को फायदा हुआ है? वह इस प्रकार है जूई लिफ्ट इरीगे इन स्कीम से भिवानी जिले को फायदा हुआ है। इंदिरा गांधी लिफ्ट इरीगे इन स्कीम से भी भिवानी को फायदा हुआ है बीरेन्द्र नारायण लिफ्ट इरीगे इन स्कीम से हिसार जिले और भिवानी को फायदा हुआ है। झज्जर लिफ्ट इरीगे इन स्कीम से रोहतक जिले की तहसील झज्जर को फायदा हुआ है आगमैंटे इन कैनाल से करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक जींद, हिसार और भिवानी जिलों को फायदा हुआ है (व्यवधान) और इसी प्रकार आगमैंटे इन ट्यूबवैल्ज लगे हैं, इन सब का पानी डबल्यू.जे.सी.

कैनाल सिस्टम मे डाला गया है और डबल्यू जे.सी. का जहां-जहां पानी लगता है, उन सभी एरियाज को लाभ हुआ है।

**श्रीमती लेखवती जैन:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोइ ऐसी स्कीम भी है, जिससे हमकों भी लाभ पहुंचे ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अम्बाला जिले के नारायणगढ़ मे 200-250 डायरैक्ट इरीगे ान ट्यूबवैल्ज लगाए है जिनसे काफी एरिया को फायदा पहुंचा है।

**चौधरी चांद राम:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक फसल को आप कितनी दफा पानी देते है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अध्यक्ष महोदय जो मैंने आंकड़े पे ा किये है, इनमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे है जिनमे एक फसल को पानी मिलता है और कुछ ऐरियाज ऐसे है जहां सब फसलों को पानी मिलता है। अलग-अलग फिगरज मेरे पास नहीं है।

**चौधरी चांद राम:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि महीने मे एक दिन पानी दिया जाता है या कोइ और हिसाब से दिया जाता है ?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** अध्यक्ष महोदय, टर्न के हिसाब से पानी मिलता है।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आगमेन्टे इन ट्यूबवैल्ज के बारे में काफी शिकायतें आई थी और उनके बारे में इन्कवायरी भी की गई थी और इस इन्कवायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट भी दी थी। उस इन्कवायरी का क्या बना ? इन्कवायरी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए थे वह वहां तक इम्प्लीमेंट हुए ?

**Mr. Speaker:** Order please. this supplementary question does not arise out of this question.

### **Tour of Ministers**

**\*1321. Chaqudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of Ministers, State Ministers including the Chief Minister who remained on tour during the months of January and February, 1975, alongwith the places visited and the T.A. drawn by them, separately; and

(b) The purpose of the tours as mentioned in part (a) above separately in each case?

**Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):** the time and labour involved in collecting the information to answer this question will not be commensurate with any possible benefit to be therefrom.

**चौधरी राम लाल वधवा:** स्पीकर साहब, ये इलैकान के महीने थे। हमने सिर्फ दो महीने की इंफरमेकान मांगी है। टाईम एंड लेबर इन्वाल्ड होने की क्या बात है ?

**Mr. Speaker:** Can I compel a Minister to give reply in a particular way?

**चौधरी राम लाल वधवा:** स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि इलैकान के दौरान किसी ने टी.ए.डी.ए. नहीं लिया। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं एक चीज क्लीयर कर दूँ कि अगर आनरेबल मैबर यह पूछते कि कौन सा मिनिस्टर कितने दिन गैरहाजिर रहा और कितना टी.ए.डी.ए. लिया तो मैं जवाब दे देता। इन्होंने तो टूर का परपज भी पूछा है। मिनिस्टर का टूर का परपज आफिर्मायल है। हर बात का क्या जवाब दें.....(व्यवधान)।

**चौधरी देवी लाल:** आन ए प्वायंट आफ इंफरमेकान, स्पीकर साहब....

**Mr. Speaker:** No point of information, no point of order during the question hour.

**चौधरी राम लाल वधवा:** स्पीकर साहब, दो महीने का पूछा है इसमें कितनी लेबर इन्वाल्ड है। क्या ये चार लाईन नहीं लिख सकते ?

**Mr. Speaker:** I cannot compel a Minister to give reply in a particular way.

**श्रीमती चन्द्रावती:** आन ए प्वांयट आफ आर्डर, स्पीकर साहब ।

**श्री अध्यक्ष:** बहन जी, क्वै चन अवर है, इसमे प्वायंट आफ आर्डर नही हो सकता ।

**चौधरी दलसिंह:** स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के जवाब से ऐसा लगता है कि उनके पास इंफरमे ान है कि महम के हल्के मे कौन सा मिनिस्ट्र गया हुआ था.....(व्यवधान) ।

**चौधरी बंसी लाल:** स्पीकर साहब, मेरे पास कोई डिटेल नही है । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर आनरेबल मैंबर इस तरह का नोटिस देंगे कि कौन मिनिक्टर कितने दिन बाहर रहा और कितना टी.ए.डी.ए. ड्रा किया, उसका जवाब दिया जाएगा । टूर प्रोग्राम का परपज आफि ायल होता है । इलैक् ान मे अगर कोई मिनिस्टर गया है तो उसने कोई टी.ए.डी.ए. नहीं लिया ह ।

**चौधरी देवी लाल:** स्पीकर साहब, अगर ये जवाब ही नही देना चाहते तो फिर इतने मिनिस्टर्ज की और इतने डिपार्टमेंटस की जरूरत ही क्या है ? अखिर यह हाउस इसी लिए तो है कि जब इंफर्मे ान मांगी जाए, ये दे । तमाम जगहों पर महम रोड़ी वगैरह मे कैम्पों के कैम्प लगे पड़े थे ।

**Mr. Speaker:** Order please. This is no question.



**चौधरी राम लाल वधवा:** स्पीकर साहब, हम कोठ परपज वगैरह नहीं पूछते, रोड़ी व महम वगैरह कई जगहों पर कैम्प लगे हुए थे। मिनिस्टर्ज वगैरह वहां पर कितने दिद नहे, जर इतनी लेबर करके हमें बता दे।

**चौधरी बंसी लाल:** स्पीकर साहब, ये क्वै चन भेज दे, हम जवाब दे देंगे।

**Mr. Speaker:** You send another question in that form and the reply will come.

### **Haryana Lottery Tickets**

**\*1338. Shri K.N. Gulati:** Will the Minsiter for Finance be pleased to state the profit accrued from the sale of Haryana lottery tickets since its inception together with the manner the said amount is being spent?

**Finance Minister** (Shri Ram Saran Chand Mital):

(b) R. 389.77 Lakhs

(c) For the development activites of the State.

**श्री के.एन. गुलाटी:** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लाटरी सिस्टम से जो इतना मुनाफा हुआ है, वह सारे का सारा पैसा क्यों न फरीदाबाद मे लगा दिया जाए और उस पैसे से कोलेज औरहस्पताल वगैरह खेल दिये जाएं ताकि लोगों को हर तरह की सहूलिय हो जाए।

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** स्पीकर साहब, मेरे विचार से तो फरीदाबाद में पहले ही सब से ज्यादा रूपया खर्च हो रहा होगा।

**चौधरी दल सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लाटरी वगैरह से जितना मुनाफा हुआ है, वह पैसा कौन-कौन से डिवैल्पमेंट के कामों पर खर्च किया गया है और कितना कितना खर्च किया गया है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** स्पीकर साहब, इसका अलग से हिसाब नहीं हुआ करता। जो मुनाफा हुआ है, वह पूल के अंदर लगा दिया जाता है और जो स्टेट की डिवैल्पमेंट की स्कीम होती है, उस पर खर्च किया जाता है।

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, मैंने पूछा है कि वह डिवैल्पमेंट की कौन कौन सी स्कीमें हैं जिन पर वह पैसा खर्च किया गया है?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** स्पीकर साहब, इस बारे में मैं पहले बता चुका हूँ।

**चौधरी विठ्ठल राम वर्मा:** स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब से हरियाणा में यह लाटरी का सिस्टम शुरू हुआ है, उस पर कितना खर्च हुआ है और उससे कितना मुनाफा हुआ है?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** स्पीकर साहब, जब से यह लाटरी सिस्टम चालू हुआ है तक से अब तक कुल आदमी 11 करोड़ 83 लाख 14 हजार रुपये हुई है और उस पर जो खर्चा वगैरह हुआ वह है 7 करोड़ 93 लाख 37 हजार रुपया। 3 करोड़ 89 लाख और 77 हजार रुपये का नैट मुनाफा हुआ है।

**चौधरी चांद राम:** क्या वजीर साहब बताएंगे कि जो मुनाफा हमें लाटरी से पहले होता रहा है वह अब घट रहा है कि बढ़ रहा है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** पहले से घट रहा है।

**श्रीमती चन्द्रावती:** क्या वजीर साहब बताएंगे कि इस लाटरी की टिकटें छपवाने पर कितना खर्चा हुआ और कौन सी प्रैस से उनकी प्रिंटिंग करवाई गई ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये।

**श्री अमर सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बालाने का कष्ट करेंगे कि जब से यह लाटरी सिस्टम शुरू किया गया है, तब से अब तक लाटरी डिपार्टमेंट पर कि डिपार्टमेंट पर कितना खर्च किया गया है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** स्पीकर साहब, हमने पहले सारा खर्च बता दिया है उसमें सब कुछ आ गया। फिर भी मैं

मैंबर साहिबान की जानकारी के लिये बता देता हूँ। लाटरी डिपार्टमेंट ने तमाम खर्चा 7 करोड़ 93 लाख 37 हजार रूपये किया है।

**चौधरी दल सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आज तक लाटरी के कितने ड्रा निकल चुके हैं और हरियाणा प्रान्त मे कितने ऐसे आदमी हैं जिनको फस्ट प्राईज मिल चुके है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** स्पीकर साहब, इसका उत्तर पहले भी दिया जा चुका है। फिर भी आनरेबल मैंबर साहिबान की जानकारी के लिये बता देता हूँ। पहला 1968 मे दूसरा 1969 मे, इसके साथ एक एम्बैसेडर कार भी थी।

**चौधरी विठ्ठल राम वर्मा:** क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लाटरी से सालवार कितना कितना लाभ होता रहा है ?

1968-69 मे 58 लाख 67 हजार

1969-70 मे 1 करोड़ 39 लाख 15 हजार

1970-71 मे 1 करोड़ 4 लाख 28 हजार

1971-72 मे 20 लाख 98 हजार

1972-73 मे 27 लाख 77 हजार

1973-74 मे 23 लाख 63 हजार

1974-75 में 15 लाख 29 हजार

**चौधरी राम लाल वधवा:** मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ड्रा निकलते रहे हैं उन में बम्पर प्राइज लाख सवा लाख के हैं और कुछ दूसरे भी हैं, क्या सरकार को बम्पर्ज में फायदा हुआ है या कि सभी में फायदा हुआ है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** स्पीकर साहब, अभी इस बारे में पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। आनरेबल मैनबर अलग से नोटिस दे तो हम बता देंगे।

**चौधरी चांद राम:** स्पीकर साहब, हर साल लाटरी से यह आमदनी घटती ही चली गई है और लोगों की लुटाई अभी तक जारी है। क्या मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की आमदनी घटती जा रही है, इस लाटरी सिस्टम को बन्द करने की कोशिश करेंगे ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** जनाब, अभी यह घाटे का सौदा नहीं है मुनाफा है, पर है कम।

**चौधरी विठ्ठल राम वर्मा:** स्पीकर साहब, लगातार तीन-चार साल से लाटरी से आमदनी बढ़ने की बजाये करोड़ों से घट कर 15,20,25 लाख आ गई है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके क्या कारण हैं? क्या इसके बढ़ने की भी कोई आशा है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** मुनाफा इस लिये कम होता जाता है कि एक तो कई राज्यों में इनकी सेल पर बैग लगा दिया गया है और यहां के टिकट वहां पर नहीं बिकते हैं इससे आमदनी काफी घटी है क्योंकि हरियाणा में इतनी सेल नहीं है जितनी कि दूसरे राज्यों में हैं हमारे टिकटस की 90 फीसदी सेल दूसरे राज्यों में होती है दूसरे सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस आमदनी पर इनकम टैक्स लगा दिया है जोकि काफी लगता है तीसरे इन्टर स्टेट कम्पीटी इन बहुत ज्यादा हो गया है और सारी स्टेटस ने ये टिकटस जारी कर दिये हैं जिससे आमदनी पर बहुत असर पड़ा है और फिर कुछ लोगों में जो भी कम हो गया और आप लोगों की कृपा से भी लोगों में जो भी कम हुआ है।

**चौधरी फूल चंद (रोहट):** कई बार हम देखते हैं कि एक रूपये का टिकट आठ आने में फैंकने की कोशिश करते हैं और हमें भाक होने लगता है कि कहीं वे टिकट बोगस तो नहीं है। क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या उनके नोटिस में बोगस टिकटों की सेला आई है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** हमारी तरफ से तो कोई बोगस सेल नहीं होती है।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का:** वजीर साहब ने फरमाया है कि कई दूसरे राज्यों ने हमारे टिकटों की सेल पर पाबंदी लगा दी

है तो क्या उन के टिकटों पर भी हमारे राज्य मे भी पाबंदी लगाई गई है ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** नहीं, हमने नहीं लगाई है। हम तो यह कोर्त्ता कर रहे है कि वहां पर भी यह पाबंदी हटा दी जाये। पिछली दफा आल इंडिया डायरैक्टर्ज आफ लाटरीज की काफ्रेंस हुई थी और उस मे यह बात उठाई गई थी कि जहां पर जिन स्टेटस मे यह पाबन्दी लगी है, उसे हटा दिया जाये।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अगर दूसरी स्टेटस यह बैन नहीं हटाती है तो क्या अपनी सरकार विचार करेगी कि वहां टिकटों की सेल पर यहां पर बैन लगाया जाये ?

**श्री राम सरन चन्द मित्तल:** यह तो हाइपोथैटीकल क्वै चन हैं जैसे जैसे जरूरत होगी मौका के मुताबिक वैसे किया जायेगा।

### **Buses with Haryana Roadways**

**\*1344. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of buses with the Haryana Roadways as on 31-3-1975;

(b) the number of buses out of those memtioned in part (a) above which are plying in good contition; and

(c) the number of buses with the karnal Depot ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) 1602

(ख) 1559

(ग) 158

**चौधरी शिव राम वर्मा:** क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि पिछले साल कितनी बसें किसी न किसी नुक्स के कारण रास्ते में खड़ी रही ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** अगर आप ब्रेक डाउन्ज की फिगरज लेना चाहते हैं तो इसके लिये सैप्रेट नोटिस दे, पता करके बता देंगे।

**चौधरी दलसिंह:** क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि हरियाणा में मुसाफरों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुये कितने और बसों की जरूरत है और उस जरूरत को सरकार कब तक पूरा करना चाहती है ?

**परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह):** जैसा कि अभी बताया गया है 31 मार्च, 1975 को हमारे पास 1602 बसें थी और 120 बसें बाड़ी बिलिंडग के लिये गई हुई है। हमारी तजवीज यह है कि इस पांच साला प्लान के आखिर तक 3500 बसें हरियाणा में कर दें लेकिन इसमें कइ किसम की दिक्कतें हैं। कभी तो बसों के लिये



चैसीज नही मिलती और कभी फंडज की दिक्कत पे आती है।  
बैंकों से हमें लोन भी नहीं मिल पाता है।

**Chaudhri Mehar Chand:** May I know from the Transport Minister what arrangements have been made to provide transport facilities to the people whose Tahsils have recently been changed.

**कर्नल महा सिंह:** इस बारे में अगर मैनबर साहिबान की तरफ से कोई सुझाव आयेंगे तो उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा।

**श्रीमती चन्द्रावती:** क्या वजीर साहब बतायेंगे कि रोजाना कितने यात्री बसों में सफर करते हैं और क्या उन सब के लिये जो मौजूदा बसें हैं, वे काफी हैं ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** इसके लिये सैप्रेट नोटिस दें।

**कर्नल महा सिंह:** इस बारे में मैं अर्ज करता हूँ कि एवरेज डेली चार लाख से ज्यादा लोग आजकल बसों में सफर करते हैं और उनके लिये किसी हद तक यह बसें काफी हैं क्योंकि देख जाता है कि कई बार बसें खाली भी चलती हैं और कभी-कभी ओवर लोड भी चलती हैं।

**चौधरी मनफूल सिंह:** क्या वजीर साहब बतायेंगे कि बसों में ओवर लोडिंग बहुत ज्यादा है और इसके पे गेनजर इस ओवर लोडिंग के बारे में कोई परसैंटेज फिक्स करेंगे ?

**कर्नल महा सिंह:** ओवर लोडिंग को रोकने की काफी कोशिश की गई है लेकिन ला एंड आर्डर की समस्या बन जाती है क्योंकि कंडक्टर ज़ाइवर्ज को पैसैंजर मजबूर कर देते हैं कि उनको बिठाया जाये और कई दफा इस बात को लेकर उनमें झगड़ा भी हो जाता है और वे उनकी पिटाई भी कर देते हैं। मैं मैनबर साहिबान से कहूंगा कि वे पब्लिक को समझाये कि जब बस ओवर लोड हो तो वे उसके अन्दर न बैठें।

**श्री अमर सिंह:** वजीर साहब ने बसों की तादाद 31 मार्च, 1975 को 1602 बताई है तो क्या वह बतायेंगे कि इनकी जिलावार ऐलोकेशन किस तरह से है ?

**कर्नल महा सिंह:** हमारी ऐलोकेशन जिलावार नहीं होता डिपोवाइज होती है और वह इस प्रकार है :

अम्बाला : 199

गुड़गांव : 183

चंडीगढ़ : 144

रोहतक : 223

करनाल : 158

हिसार : 205

रिवाड़ी : 128

जींद : 118

भिवानी : 107

कैथल : 137

**चौधरी चांद राम:** क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या उनके पास ऐसी रिप्लायते आई है कि जो बाडीज बनायी जाती है उन में डिफैक्टिव सामान लगाया जाता है और टायर वगैरा बदले जाते हैं? क्या इस बारे में कोई चैकिंग वगैरा की गई है और क्या अपने तौर पर ही कोई सैम्पल चैकिंग की गई है ?

**कर्मल महा सिंह:** जब भी कभी ऐसी रिप्लायते आती है तो उन पर महकमा के अफसर फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि बसों की कमी की वजह से हरियाणा में एवरेज डेली कितने ट्रिप मिस होते हैं ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** प्रोग्राम के मुताबिक जैसा कि बना है, कोई मिस नहीं होता है

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या कहा, कोई भी मिस नहीं होता ? चार ट्रिप तो करनाल में डेली मिस होते हैं।

**श्री के.एन. गुलाटी:** वजीर साहिबा बतायेंगी कि पिछली दफा जो फरीदाबाद के लिये बसें देने का वायदा किया था, क्या वह बसें वहां के लिये दे दी गई है या नहीं ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** गुड़गांव डिपों के लिये कुछ बसें दे दी गई है और कुछ बसें वहां के लिये बन रही है और तैयार होकर मिल जायेंगी। कुछ बसें सिटीज के लिये डी.टी.यू. टाईप की बन रही है उन में से ज्यादा बसें फरीदाबाद के लिये दी जायेंगी।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** क्या कोई ऐसी तजवीज है कि जिला हैडक्वार्टज की डीलक्स बसों से जोड़ा जाये और क्या यह सही है कि महकमा की तरु से इस तजवीज की मुखलिफत इसलिये है कि इन में एम.एल.एज. मुफ्त कफर करेंगे ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** ऐसी कोई बात नहीं। डीलक्स बसें महंगी पड़ती है और उन में बैठने वाली सवारियां इतनी ज्यादा नहीं होती कि वह चलाई जा सके इस लिये वे घाटे में चलती है।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि इन्द्री के हल्का में कितनी कितनी डीलक्स बसें चक्कर लगाती है ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** इन्द्री के हल्का की आप चिन्ता न करो।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** चिन्ता क्यां न करूं ? मेरा गांव उस में है ..... (हंसी).....।

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** आप सड़क पर बैठ कर गिन लिया करो.....(हंसी).... ।

**चौधरी दलसिंह:** मिनिस्टर साहब के जवाब से जाहिर होता है कि 43 बसें ऐसी है जो नकारा है और ठीक हालत मे नहीं चल रही । मैं पूछना चाहता हूं कि जींद डिपों मे कितनी ऐसी बसें है जो नाकाना है ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** जींद की नही, हिसार और रोहतक डिपों की बसें नाकारा है । हम सब जगह कोि । । करत है । कि बसों के पुर्जे मिल सके, लेकिन कोि ाश करने बावजूद भी नही मिलते और यही कारण है कि हम ये बसे नही चला पाये है । लेकिन जींद डिपों की बसें नाकारा नही है ।

**चौधरी रामजी लाल डागर:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पलवल डिपों के लिए कितनी नई बसों की मांग है ?

**कर्नल महासिंह:** कोई मांग नही है । हम खुद देखते है कि जहां पैसैंजर ज्यादा हो वहां जनरल मैनेजर सब के लिए इंतजाम कर देते है ।

**श्रीमती चन्द्रावती:** मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि टाईम मिस नही होते, लेकिन मैं कहती हूं कि टाईम मिस होते है । क्या मिनिस्टर साहिबा इन्क्वायरी करवायेंगे ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** अगर आप नोटिस में लाएंगे तो इन्क्वायरी की जाएगी और गौर किया जाएगा।

**श्री गौरी भांकर:** क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि स्टेट में बसों की जो कमी है, उसको कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

**कर्नल महासिंह:** अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। कमी इस वजह से है कि हमे फाईनैन्सियल डिफिकल्टी है। मैं कह चुका हूँ कि हम 3500 बसें लेना चाहते हैं लेकिन मैनुफैक्चरर्स से बसें नहीं मिलती क्योंकि फाईनैन्सियल डिफिकल्टी है और बैंकों से लोन नहीं मिलता। अगर आप दूसरी स्टेटों को देखें तो मालूम होगा कि हरियाणा ने बैंकों से ज्यादा लोन लेकर 248 चैसीज ली है और भायद इतनी किसी स्टेट ने नहीं ली होगी।

**लाला रूलिया राम:** स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ से इंदरी जैसी छोटी जगह के लिए बसें बहुत चलती हैं लेकिन घरौडा जैसी बड़ी जगहों के लिए बसें क्यों नहीं चलतीं ? क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** इस सवाल से तो सप्लीमेंटरी अराईज नहीं होता।

**चौधरी राम लाल वधवा:** अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने करनाल में टोटल बसें 158 बताई हैं। क्या मंत्री महोदय

बतायेंगे कि 1975-76 में करनाल डिपों ने कितनी बसों की मांग की है और सरकार का कितनी बसें देने का विचार है ?

**कर्नल महासिंह:** किस डिपों ने कितनी मांग की है, इसके आंकड़े इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, इसके लिए सैप्रेट नोटिस देंगे तो बता दिया जाएगा।

**चौधरी पीर चंद:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जींद, सोनीपत और रोहतक में जो बसें बनती हैं, उन पर प्रति गाड़ी कितनी लागत आती है और जो जालन्धर में बनती थी, उन पर कितनी लागत आती थी ?

**कर्नल महासिंह:** जालन्धर में बसों की कोई बाड़ी नहीं बनवाई जाती। जब कम्पोजिट पंजाब में बाड़ीज बनती थी तब जालन्धर में बनती थी, लेकिन अब नहीं।

**चौधरी पीर चंद:** हम तो खर्चा पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा आता था ?

**श्री ओम प्रकाश गर्ग:** स्पीकर साहब, मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा था जिसमें कहा था कि "इन्द्री" छोटी जगह है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 'इन्द्री' बहुत बड़ी जगह नहीं बन सकती ? (हंसी)

**कर्नल महा सिंह:** अगर हरियाणा की कोई जगह छोटी हो और उसको बड़ी बना दिया जाए तो हम सब को खुशी होनी चाहिए।

**चौधरी राम लाल वर्मा:** स्पीकर साहब कुछ बसें ऐसी हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने डैस्टीनेशन पर पहुंच पाती हैं। उनका ढांचा हिला होता है। एक बस का नम्बर बता सकता हूँ जिसमें मैंने 21 अप्रैल, 1975 को सफर किया है। बस नं. 3917, रूट नं. 36 है जिसकी सारी वैलेंडिंग उखड़ी पड़ी है। सारा ढांचा हिला हुआ है और यह बस कुरुक्षेत्र पहुँचा से होती हुई करनाल पहुँचती है। इसके अतिरिक्त जो नई बसें स्टील बाडी की आई हैं, उनकी सीटें इतनी तंग हैं कि आदमी सीधा होकर नहीं बैठ सकता। अगर एक-एक सीट निकलवा कर सारी सीटों को ठीक किया जाए तो बैठने लायक हो सकती हैं।

**कर्नल महा सिंह:** ऐसी रिपोर्टें हैं जिन पर अमल किया जा रहा है और सीटें कम की जा रही हैं। आपकी तरफ से जो तजवीज आती है उसके मुताबिक बसें दुरुस्त करते हैं।

**चौधरी राम लाल वर्मा:** मंत्री महोदय ने 1602 की जो फिगर बताई है इसमें माडल 1973, 1974, 1975 की कितनी बसें हैं और 1973 से पहले के माडल की कितनी बसें हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि 1602 की जो फिगर बताई है, उसमें माडलवाइज पोजीशन क्या है?



कर्नल महा सिंह: मोडलवाईज डिटेल इस प्रकार है—

Less than one year	--	165
More than one year but less than two years	--	287
More than two years but less than three years	--	229
More than three years but less than four years	--	241
More than four years but less than five years	--	327

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर (1) 23

More than five years but less than six years	--	183
More than six years but less than seven years	--	109
More than seven years but less than eight years	--	57
More than eight	--	4

चौधरी फूल चंद (रोहट): स्पीकर साहब, कुछ बसें बिल्कुल खटैहड़ा हो गई है। जब चलती है तो ऐसा लगता है कि

रोड़ी कूटने वाले इंजन पर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कल कुछ बसें कंडम भी की हैं या नहीं ?

**कर्मल महा सिंह:** 1974-75 के अन्दर हमारा अन्दाजा था कि 126 बसें कंडम करनी पड़ेगी लेकिन नहीं कर सके क्योंकि इनके अगेन्स्ट बसें कम मिली हैं। हमने 131 बसें रिप्लेस की हैं।

**चौधरी विठ्ठल राम वर्मा:** स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बात की थी लेकिन उसका असर कोई नहीं हुआ। बात यह की थी कि सड़कों के किनारे सवारियां खड़ी रहती हैं लेकिन बस नहीं रोकते क्योंकि बसों में जगह नहीं होती। मेरा एक सुझाव है कि सरकार इस बारे में ऐसा प्रबंध करें कि बसें एक-एक, दो-दो करके सवारियां उठाती रहे ताकि भीड़ न रहे। सरकार सब को हिदायत कर दे कि हर एक बस एक-एक सवारी लेती रहे।

**कर्मल महा सिंह:** यह हिदायत एक दफा नहीं, बार बार जारी की गई है। अब हम फ्लाइंग स्क्वेड भेज रहे हैं। मैं मंत्री साहबान से विनती करूंगा कि अगर उनके नोटिस में किसी किस्म की बात आए तो एस.टी.सी. साहब के नोटिस में लाएं।

**Mr. Speaker:** The Question is over.

नियम 45 के अधीन सदन के मेज पर रखे गए तारांकित

प्रश्न का लिखित उत्तर

**Loans Advanced by the Haryana Harijan Kalvan Nigam**

**\*133. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the district wise total amount of loans advanced by the Haryana Harijan Kalyan Nigam to Harijans during the period from 1-11-1966 to 31-3-1975?

समाज कल्याण मंत्री (चौधरी भजन लाल): एक ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है ।

**Statement showing the yearwise actual District wise disbursement of loans by the  
Haryana Harijan Kalyan Nigam Limited from its inception i.e. 2-1-1971 to 31-3-  
1975**

Sr. No.	Distict	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	Total
1	Ambala	50,00	54,500	1,10,000	1,64,750	3,97,250
2	Karnal	4,34,600	1,84,250	1,13,000	2,38,750	9,70,600
3	Hissar	10,74,400	2,25,900	1,51,750	2,20,375	16,72,425
4	Mohindergarh	21,000	16,500	82,500	1,60,000	2,80,000
5	Gurgaon	1,98,600	26,900	1,02,000	1,85,000	5,12,500
6	Rohtak	2,69,800	53,300	70,500	1,33,750	5,27,350
7	Jind	65,500	11,100	66,340	1,21,500	2,64,440
8	Bhiwani	--	--	1,00,450	1,3,390	2,03,840

9	Sonepat	--	--	1,19,750	97,500	2,17,250
10	Kurukshetra	--	--	1,02,880	1,42,500	2,45,380
	Total	21,13,900	5,72,450	10,19,170	15,67,515	52,73,035

## भाक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारे पिछले सदन की बैठक के उठ जाने के बाद और आज के मिलने से पहले हमारे कई साथी हमारे से बिछुड़ गए तो मैं उनके लिए औबिचुअरी रैफरेन्स लाना चाहता हूँ।

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, on 17<sup>th</sup> April, 1975.

Born on September 5, 1888 at Tiruttani, Dr. Radhakrishnan had his early education at Vellore and Madras. After receiving an M.A. degree in Philosophy from the Madras Christian College in 1909, He joined the Madras Educational Service as a lecturer and rose to Professorship in 1917. He gained international fame in 1926 when he was invited to deliver lectures at Oxford. He also delivered Hoskell lectures at the Chicago University, U.S.A.

He was appointed Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University in 1939. In May 1944, he was invited by the Chinese Government to deliver a series of lectures in China. In 1946, he was invited to the United States to lecture at fourteen Universities under the auspices of the Watumall fundaton.

Dr. Radhakrishnan headed the Indian delegation to UNESCO from 1946 to 1952 and presided over UNESCO'S General Conferences in 1952-54.

In January 1948, Dr. Radhakrishnan gave up the Vice-Chancellorship of the Banaras Hindu University to take up Chairmanship of the Universities Commission.

In 1949, Dr. Radhakrishnan was decorated with the highest award of honour, 'Bharat Ratna'. He was elected as President in 1962. He made many goodwill visits to the countries of the world as President, thereby strengthening the bonds of friendship and amity with other nations.

In 1964, His Holiness the Pope Paul VI honoured him with the highest Vatican award, the 'Golden Spur'. His last work 'Religion in a Changing World' was published in 1968. He received "the Templeton Award" in March, 1975. His birthday on the 5<sup>th</sup> September is celebrated throughout India as "Teachers Day".

In his death the country has lost a philosopher, statesman, scholar, humanist and an idealist. The House resolves to send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family,

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Khandubhai K. Desai, former Governor of Andhra Pradesh on 17<sup>th</sup> April, 1975.

Shri Desai who took his school education in Balsar and College education at Bombay was born on October, 23 1898. He graduated from the Gujarat Vidyapith in Ahmedabad and served as a teacher for some time. He took the trade union work in Ahmedabad. He was jailed for a year in 1932-33. In 1937 he was elected to the Bombay Legislative Assembly. In the 1942 'Quit India' movement, Sh. Desai was

imprisoned. He was elected to the Constituent Assembly in 1946 and was an active member of the Parliament.

In 1954, he was appointed as the Union Labour Minister. He remained member of the Rajya Sabha and resigned its membership on being appointed as Governor of Andhra Pradesh.

In his death the country has lost one of the architects of the trade union movement in India. The House resolves to send its heart felt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its great sense of sorrow on the sad demise of Miss Padmaja Naidu, former West Bengal Governor on 2<sup>nd</sup> May, 1975.

Daughter of an illustrious mother, Smt. Sarojini Naidu, Miss Padmaja Naidu was born on November 17, 1900 in Hyderabad. She studied at home. In 1929, she founded the Plague Relief Association in Hyderabad. For sometime she was connected with the Senate of the Osmania University. She was jailed for taking part in the "Quit India" movement in 1942.

She was elected to the Parliament in 1950 but resigned her seat two year later because of ill health. She was appointed Governor of West Bengal in 1956 and was given extension after the completion of the term.

After laying down her office as Governor, Miss Naidu was Chairman of the Executive Council of the Nehru Memorial museum and Library Society. She was also Vice-Chairman of the Jawahar Lal Nehru Memorial Fund.



She was awarded Padma Vibhushn in 1962.

In her death the country has lost an ardent patriot and a front rank constructive worker. The House resolves to send its heart frlt condolences to the members of the breaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Rajendra Narayan Singh Deo, former Chief Minister of Orissa on 23<sup>rd</sup> February, 1975.

Sh. Rajendra Narayan Singh Deo was born on the 31<sup>st</sup> March, 1912 at Saraikella in Orissa. He was the sone of Maharaja Aditya Pratap Singh Deo. He was invested with ruling powers in 1933.

He was the first ruler to sign a merger agreement with the Indian Union. He founded Ganatantra Parishad in 1950. He was elected to the Lok Sabha in 1952, and later to the State Assembly in 1957. He was the leader of the opposition in Assembly during 1957-59. He was deputy leader and Finance Minister in Congress Gantantra Parishad coalition Government during 1961 to 1967. He was Chief Minister from 1959-61 and was Minister for Political and Services and Industies from 1967 to 1971.

This House resolved to send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family.

The House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Partap Singh M.P. on the 24<sup>th</sup> January, 1975.

Sh. Pratap Singh was born on the 27<sup>th</sup> December, 1912. He joined the Army in 1932 and earned decorations for meritorious services. He retired from the Army in 1950. He was a member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly during 1952-56 and whip of the Congress Party. He was a member of the Lok Sabha from 1962-67 and again 1967-70. He was re-elected to the Lok Sabha in 1971.

The House resolves to send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Dabendra Nath Mahato, M.P. West Bengal on the 17<sup>th</sup> February, 1975.

Sh. Dabendra Nath Mahato was born on the 1<sup>st</sup> March, 1918. He graduated from Culcutta University. He was a member of the Bihar Legislative Assembly from 1950 to 1956. Parliamentary Secretary to the Chief Minister of Bihar from 1952 to 1956 and a member of the West Bengal Legislative Assembly from 1956 to 1966 and again from 1969-70. He was the President of the Congress Committees of District Manbhum and Purulia, General Secretary of District Congress Committee Purulia and a member of the A.I.C.C. He worked actively for the cause of education and up-lift of the Scheduled Castes and Backward Classes. He was also editor of the fortnightly 'Jana Ahwan'

The House resolves to send its heart felt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Principal Rala Ram, former M.L.A. of Punjab on the 21<sup>st</sup> January, 1975.

Sh. Rala Ram was born on January 5, 1900. He was educated at Hoshiarpur, Lahore and Jammu. He started his career as a teacher in 1921. He visited East and South Africa in 1931-32. He remained a fellow of the University for a number of years and was a member of the Syndicate twice. He was elected to the Punjab Legislative Assembly in 1952 and continued till 1967. He was the Chairman of the Punjabi Regional Committee in the composite Punjab.

The House resolves to send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family.

Sir Khizar Hayat Tiwana, former Premier of East Punjab per partitioned Punjab

This House resolves so send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family.

**चौधरी चांद राम (बबैन अनुसूचित जाति):** माननीय स्पीकर साहब, जो भाक प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने उन महानुभावों के बारे में जो आज हमारे बीच में नहीं है और जिनकी मौत से बड़ी भारी खला हुई है, सदन में रखा है और विचार प्रकट किए हैं, मैं उनसे अपने आप को संबन्धित करता हूँ। डाक्टर राधाकृष्णन की मौत के बारे में बहुत कुछ लिख गया। मुख्य बात जो उनके बारे में लिखी गई, वह यह थी कि स्टालिन भी उनसे बातचीत करने में इज्जत महसूस करते थे। मैं यह समझता हूँ कि

भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी चीज है जो यहां के एक विद्वान के बारे में कही गई है। एिया इतना बड़ा देा है उसका डिक्टेटर कहिए, प्राईम मिनिस्टर कहिए या सर्व सर्वा कहिए अगर वह हमारे एक विद्वान के साथ बातचीत करने में इज्जत महसूस करते थे और वह भी उस जमाने में जब हमारा देा आगे को बढ़ रहा था तो यह बहुत बड़ी चीज है। तो मैं समझता हूं कि उनके चले जाने से भारत को बहुत भारी नुकसान हुआ है। श्री खण्डू भाई देसाई लेबर लीडर थे। वे मजदूरों में काम करते थे। हमारा उनसे कई वार वास्ता पड़ा परन्तु मौत संसार में किसी भी व्यक्ति को बख्भाती नहीं है। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके गुजर जाने से हमें बहुत बड़ा दुःख हुआ है। श्री आर.एन. सिंह देव हमारे भारतीय लोक दल के लीडर थे। उनकी मृत्यु होने से पहले, वे पिछले दिनों दल की मीटिंग में भागिल होते थे। तो हमको ऐसा लगता था कि एक राज घराने में पैदा हो कर भी साधारण जीवन बसर करते हैं। वे साधारण तौर पर सोचते थे, साधारण तौर पर व्यवहार करते थे। हमें ऐसा लगता है कि आजाद हिन्दुस्तान के बाद राजा लोग किस तरह से बदल गये। यह हमको आर.एन. सिंह देव के जीवन से सबक मिलता है।

श्री प्रताप सिंह संसद सदस्य जो हिमाचल के थे। उनसे मेरा बड़ा घनिष्ट संबंध था उनसे कई बार मुलाकात होती रही। मैं समझता हूं, वे जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में, आदिवासी हरिजनों में इतना काम करते थे, आज भी उनका काम याद आता है।

श्री देवेन्द्र नाथ महातों की मौत से भी वाकई ही बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, वे एक गरीब परिवार में पैदा होकर गरीबों में काम करते थे। उनको भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। सर खिजर हैयात खां टिवाना हमारे ज्वायंट पंजाब में जब हम सन् 1946-47 में लाहौर में पढ़ते थे, वे उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वे रोहतक में भी जाट स्कूल में कई बार जल्से और जलूसों के मौके पर देखे। वे हमें हिन्दु मुस्लिम यूनिटी के काम में रहे। वे हिन्दू सिक्ख मुस्लिम इतिहास को चाहते थे। अखिरी वक्त तक इसी विवास के साथ डटे रहे। कई आदमी बड़े फिरकापरस्त होते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मिसाल टिवाना साहब ने हमारे सामने और संसार के सामने रखी वह काबले तारीफ है। पाकिस्तान अलग हो गया, हिन्दुस्तान अलग हो गया लेकिन उनका विवास अडिग रहा, वे यही चाहते थे कि हिन्दु मुस्लिम इकट्ठे रहे। मजहब की बिना पर वे देवा का बंटवारा नहीं चाहते थे। मैं समझता हूँ ऐसे इंसान का हमारे बीच से चले जाने से देवा को बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

प्रिंसिपल रला राम मेरे साथ सन् 1952 में एम.एल.ए. बने थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट के काफी दिनों तक मेंबर रहे। स्पीकर साहब, प्रिंसिपल रला राम जी संत विधायक थे। लोगों के साथ साधुवाद का व्यवहार करते थे। जिन हालात में उनकी दुःखदायी मौत हुई, जिन हालात में उनका अन्त हुआ मैं

समझता हूँ उनके सारे जीवन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दुःखदायी नजर आता है।

पद्मजा नायडू सारी उम्र दे आ की सेवा करती रही। उनकी माता, जिनकी हम को अंग्रेजी पोयटरी पढ़ने का बहुत ज्यादा मौका मिला ओर वे ऐसे वक्त में आजादी की लड़ाई में ऐसे काम कर गईं जो मैं समझता हूँ नारी जाति के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। यह साल तो सारी दुनियां में नारियों का साल है जितनी महान उनकी माता थी, उससे महान वे खुद भी थी। ऐसे साल में उनका चले जाना दे आ के लिए बड़ी भारी दुःखदायी बात है। मैं समझता हूँ कि यह प्रस्ताव जो पे आ किया है, उससे मैं अपने आपको संबंध करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भ्रान्ति प्रदान करें ओर उनके लवाहकिन को पूरा हौसला दे कि इस गम को बरदा त कर सके।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी):** स्पीकर साहब, जिन बुजुर्गों और साथियों के चले जाने पर जो प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस ने रखा है, मैं अपने जजबात उसके साथ वाबस्ता करता हूँ। सर डाक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि उनको मास्टर आफ ईस्ट्रन विजडम, तो वाजिब होगा। पिछले चार-सौ, पांच-सौ साल में योरूप में या ईस्ट में, योरूपीयन मुल्कों ने जो आध्यात्मिक तरक्की की, हिन्दुस्तान में चूंकि फुर्सत भी ओर गंगा ओर जमुना के मैदान में फिलौसफी डिवैल्प हुई, यह फिलौसफी सर राधाकृष्णन जी के वजूद में आने

से पहले हिन्दुस्तान में ही रही। वे हिन्दुस्तान के एक कलचरल अम्बैसेडर थे। उन्होंने जो किताबें लिखी, जिन लोगों ने नावल भी पढ़े हैं, अमेरिका में या रूस में, जैसे मालियतपरस्त मुल्कों में लिखे गये, उन नावलों में भी दुबारा जन्म लेने की बात, यह जो theology, Indian theology जो दूनियां के लिटरेचर में दाखिल हुई, उसका तमाम क्रेडिट राधाकृष्णन जी को जाता है। वे कई यूनिवर्सिटीज के स्टैंडिंग प्रोफ़ेसर थे। वे वहां जाया करते थे और सालाना लैक्चर डिलिवर किया करते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट इन्हे इन्वाइट भी करती थी। तो हिन्दुस्तान की जो रूहानियत की फिलौसफी थी, जो हमारा खजाना था तीन चार हजार साल से, वह उनके वजूद में आने के बाद दूसरी दूनियां को पता लगा। चुनांचे मुझे अब तक याद है जब उनको अम्बैसेडर बना कर रूस में भेजा गया तो कई अखबारों ने इसे in congruous का एडिटोरियल लिखा कि अजीब बात है कि स्पिरचूअल टीचर को dialectical materialism के मुल्क रूप में भेज दिया, ये कैसे कामयाब होंगे वहां ? बाद में के.पी.एस.मैन्नन ने जो किताब लिखी, जैसा कि अभी भाई चान्द राम जी ने जिक्र किया कि उन्होंने लिखा कि मेरी स्टालिन से जब मुलाकात हुई तो स्टालिन ने बजाया कि इससे बड़ा डिप्लोमैंट आदमी, जितने उस वक्त तक के कन टैम्परेरी है, और आज तक है, जो हिन्दुस्तान के अम्बैसेडर रहे, सर राधाकृष्णन जैसा डिप्लोमैंट, मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने dialectical materialism में यकीन रखने वालों को भी इम्प्रैस

कियां उनकी जयानत की जितनी तारीफ की जाये, उतनी ही कम है।

इसके अलावा डिप्लोमैटिक पोस्ट टाप मोस्ट उन्होंने होल्ड की, ऐजुके ानल दुनियां मे माने हुए टीचर थे। सब से बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी राष्ट्रपति की, जिस पर वे इलैक्ट हुए, वे भी जहां उनकी महानता है वहां देवी लाल जी के जमाने की कांग्रेस की भी बड़ी महानता हैं यही मुल्क है हिन्दुस्तान ही जिसकी रूलिंग पार्टी ने मुल्क की बैस्ट टेलेन्ट को, चाहे वह किसी पार्टी मे थी, कांग्रेस मे थी या न थी लायल और टॉप की पोस्टों पर रखा।

डॉ. अम्बेडकर, भयाम प्र ाद मुकर्जी, डॉ. सर राधाकृष्णन उन लोगो मे से थे, जो इस मुल्क की स्पिरचुअल बैकग्राउंड की जो जमहूरियत है टालरैन्स की, वे लाये। सर राधाकृष्णन जी ने हिन्दुस्तान का सब से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा भी, डिप्लोमैटिक ओहदा भी संभाला और टीचर तो वे हमारे थे हीं इतनी बड़ी भाखसीयत के चले जाने से हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि सारी दुनियां को बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

दूसरे मै, खण्डू भाई देसाई के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं। मेरी पहल मुलाकात देहली मे उनसे 1958 मे हुई जब जगन्नाथ जी कौ ाल जो अब हमारे एडवोकेट जनरल है, इन्होने कुछ M. Ps. को खाना दिया था। वे भी वहां मौजूद थे। मैंने उनके



बारे में बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन यह खण्डू भाई देसाई हैं। जो लोग हिन्दुस्तान की इकॉनॉमिक हिस्ट्री से वाकफियत रखते हैं उन्हें मालूम है कि पिछली सदी और इस सदी के इबतदा में अहमदाबाद और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, कानपुर एज ए इन्डस्ट्रीयल टाउन बाद में फील्ड में आया, ये टाउन ज्यों-ज्यों उभरे इनके साथ साथ लेबर प्रोब्लम भी उभरी, लेबर प्रोब्लम के साथ साथ लीडर उभरें कामरेड इन्दु लाल याज्ञिक और खंडू भाई देसाई की गुजरात में या बम्बई में वही पोजीशन थी जो जो थी की तमाम हिन्दुस्तान में थी और गिरि साहब की साथ इंडिया में थी। अब उन तमाम लीडरों में से सिर्फ गिरि साहब ही जिन्दा हैं। मैं इस बड़े भारी ट्रेड-यूनियनिस्ट को एज गवर्नर क्या कहूं, क्योंकि गवर्नर तो और भी बहुतेरे रहे हैं लेकिन जो ऐमीनैन्स उनकी हिन्दुस्तान में रही हैं, वह एज ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि कौशल साहब को भी अब तक याद है। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया और कहा कि पंजाब के सारे जमीन के बारे में हमारे चाहे कुछ भी इख्तलाफात हो लेकिन पंजाब एक ऐसी जगह है जहां इकॉनॉमिक बेसिस पर ट्रेड यूनियन बेसिस पर गवर्नमेंट है। उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, जिससे बहुत से लोगों को इमोशनली प्यार या किसी को नफरत है, वह छपा। उन्होंने पंजाब से कहा कि पंजाब ही वह पहला सूबा है जहां इकॉनॉमिक बेसिस पर बेस्ड ट्रेड यूनियनिस्ट्स की हकूमत कायम हुई।

खण्डू भाई देसाई के बाद श्रीमती नायडू जी का जिक्र आया। इल्मीयत, लनिंग, चार्म्स हुस्न के साथ साथ जेहानत जो उनमे थी, वह उनकी भाख्सीयत का सब से बड़ा पार्ट है। जिस दिन उनकी खबर रेडियो पर आयी कि नाजुक हालत मे है, मै उस वक्त अपने एक बड़े पुराने हम क्लास के साथ राजेन्द्र पार्क मे सैर कर रहा थां वे एस.डी. कालेज मे पढ़ा करती थी। मै डी.ए.वी. कोलेज मे था। उन्होंने मुझे एक ही बात याद दिलायी ओर मुझे यह बात आज तक याद है कि फोरमैन क्रि चयन कोलेज कालेज मे एक डिबेट हुयी और उस डिबेट मे दूसरी यूनिवर्सिटीयों मे भी लोग आये। पंजाब यूनिवर्सिटी यंग स्पीकर्स यूनियन के मातहत। आगा हैदर साहब प्रिजाईड कर रहे थे जो हाइ कोर्ट के जज थे। जब कोई लड़की आती थी तो जरा नीचे देखने लग जाते और जब कोई लड़का बोलता तो सिर उठा लेते। वे यह आब्जर्व करती रही। जब इनकी बारी आयी तो इन्होंने कहा: "मिस्टर चेयरमैन" तो चेयरमैन साहब ने अपना सिर फिर भी नीचे झुकाये रखा। आगा साहब की दाढ़ी होती थी। फिर उन्होंने दाढ़ी पकड़कर कहा: "मिस्टर चेयरमैन"। तो उन्होंने उन की तरफ देखा तो उसी वक्त वह अपोलोजैटिक होकर कहने लगे I did not mean any discrimination. In the height of modesty, I never see when some lady is speaking. अगनी जो बात नायडू की लड़की ने बड़े मार्क की वह एक और थी। इंगलि 1 कीा एक्सैंट ऐसा था कि लोग समझ नही सकते थे कि अगला फिकरा वह उर्दू मे बोल देगी। उन्होंने कहा: "मियां आगा हैदर, पिछली गर्मियों मे जब

आप लन्दन में थे तब तक यह मौडैस्टी आप मे नहीं थी, इस से सारा हाउस हंस पड़ा और उनके इस मजाक की आज तक उस वक्त के कन्टैम्पोरेरीज को याद है। इन्ही के बड़े भाई चट्टोपाई, कजन थे जिन्होंने फस्ट पार्लियामेंट मे अपनी सारी तकरीर इंगलि 1 मे पोइटरी मे की थी और वह मालवकर के बाद पहली मिसाल है क्योंकि मालवकर जी किसी को भरो— गायरी अपनी स्पीचिज मे नी कहने देते थे। वे बाते रिकार्ड मे नहीं आती थी। वह अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज समझी जाती थी, जैसे कोर्ट मे कोई भोर नहीं कह सकता इसी प्रकार से वह पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं समझी जाती थी। वे एक ऐसी कल्चर्ड फैमिली से आये जो सारी उमर डैडीकेटिड फ्रीडम फाईटर रही। जो सर्विस उन्होंने ने न की की, उसका जितना भी हम जिक्र करे, उतना ही कम है।

फिर मैं मलिक खिजर हयात खां के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। वह, मिट्ठा टिवाना एक जगह है, वहां पैदा हुए। सर उमर हयात खां के इकलौते लड़के थे। खिजर हयात की एसोसिए न या उनकी बातें वगैरा पढक्षने का किसी को भाँक हो तो वह ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर ने एक किताब लिखी है “पंजाब के बड़े वजीर”, वह पढ़े, मुझे अफसोस है कि उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं लिये, ज्ञानी जैल सिंह तक लिये है। हरियाणा भी तो उसी पंजाब का एक पार्ट था। हमारे भी चीफ मिनिस्टर्स का उसमे जिक्र होता तो अच्छी बात थी। उन्होंने खिजर हयात जी के बारे में दो चार बाते लिखी है। एक बात जो मुझे

सबसे ज्यादा पसंद आयी वह यह थी कि वे इंडियन कल्चर के बड़े मद्दा थे। उस समय बहुत सारे लोग ख्दर की अचकनें पहनते थे, चूड़ीदार पाजामें पहनते थे लेकिन जब बाहर जाते तो नकटाई लगाकर जातें वह उस वक्त की इंटरनैशनल आर्गेनाइजेसन में ये तो अखबारों में जो खबर उनकी तुर्रदार पगड़ी, उनकी वह सिलवार और लम्बी अचकन के बारे आयी, उसमें उन्होंने यह लिखा कि यह ड्रेस पहल बार वल्ड में रिप्रजेंटेशन दे रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी खिजर हयात खां साहब की, वह यह थी कि वे एक फौजी थे, फौजी रहे आखिर तक। सैकंड लानसर्ज में वे डायरेक्ट कमीशन में आये थे और सैकंड लानसर्ज में हिसार के बहुत सारे आदमी, खासतौर से हमारे प्रताप सिंह जी लाम्बा की कांस्टीच्यूएन्सी के आदमी उनके साथी है। उनकी यह एसोसिएशन इन इन लोगों की तरफ से कभी नहीं गयी। उनका ख्याल यह था कि टिवाने से हम आये है। हरियाणा से उनकी बड़ी मुहब्बत थी। जो ऐपीसोड उन्होंने लिखा है उससे हिन्दुस्तान के करैक्टर और मलिक खिजर हयात खां के करैक्टर की सही तस्वीर सामने आती है। Just after partition an offer was made by the Muslim League to join the cabinet. जिन्होंने आफर दी वे फिरोजपुर के थे नवाब ममदौद के लड़के जो पहले चीफ मिनिस्टर बने। उनको भी लोग नवाब ममदौट ही कहते थे। उन्होंने यह कहा कि आप हमारी वजारत में आइये। खिजर हयात खां ने, उस वक्त पंजाबी उर्दू लिखी जाती थी, उसमें उनको जवाब दिया है कि इमैं उस पंजाब का प्रीमियर रहा हूं जिसमें हिन्दु, सिख और मुसलमान

सब थे। अब तुम पंजाब का कब्रिस्तान बनने के बाद, मुझे आफर देकर मेरी तौहीन करते हो कि मैं मुस्लिम लीग ज्वायन कर लूं। वे उन लोगों में से थे जिन लोगों ने सबसे पहले सेकुलर पार्टी की बुनियाद रखी और हकूमत कायम की। उसके बाद जब डाक्टर खान साहब पाकिस्तान के प्रीमियर बने, तो उन्होंने खिजर हयात खां को आफर की कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाओ। वे हवाई जहाज के जरिये नवाब कजलवा 1 जो इनके समधि थे, उनको लेकर वहां गये भी। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि यह गवर्नमेंट जो है, इस कोली 1 न गवर्नमेंट में क्या मुस्लिम लीग भी शामिल होंगे ? खान साहब ने कहा, 'हां, यह तो कोली 1 न गवर्नमेंट है, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल होगी।' खिजर हयात खां ने उसी वक्त अगले जहाज से अपना टिकट वापिस बुक किया और लाहौर वापिस आ गये। नोट छोड़ आये, उनसे मुलाकात भी नहीं की। खिजर साहब किसी फिरकापरस्त पार्टी के साथ एज कोली 1 न भी बैठने को तैयार नहीं थे। सैकुलरिज्म की उन लोगों में एक अरज थी। जि लोगों ने "लास्ट डेज आफर राज" किताब पढ़ी है, उनको पता होगा कि जब आई.एन.ए. का ट्रायल चला तो तमाम चीफ मिनिस्टर्ज को कान्फीडें 1 यिज लैटर्ज एड्रेस हुए थे कि आप बताओं आई. एन.ए. के साथ क्या सलूक किया जाये। खिजर हयात खां का जो लैटर था उसमें यह लिखा है कि आई.एन.ए. के साथ वह सलूक किया जाये जो दे 1 भक्त सिपाहियों के साथ किया जाता है। उन्होंने आथ जरूर तोड़ी लेकिन दे 1 भक्ति के जजबे के नीचे, बिट्रैयल या गद्दारी के नीचे नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ

तो आपकी जो रैगुलर आर्मी है, जिसमे एक सिपाही तो आज नौकर है लेकिन हर तीसरा आदमी आई.एन.ए. मे है, यह बगावत कर देगी, आपके खिलाफ हो जायेगी। इस चीज ने उनके ट्रायल का बड़ा इन्फ्लूएंस किया। मलिक खिजर हयात डुब्बे वतन थे, सिपाही थे, एक डैमोक्रेट थे और सब से बड़ी बात यह है कि अपनी जवाब के पक्के थे मौलाना आजाद जिन्होंने उनके बारे मे लिखा है। लिखते है कि मेरे पास एक सिख डैपुटे इन आया मास्टर तारा सिंह के साथ। उन्होंने कुछ अ योरैन्स चाहे कि पार्टी इन के बाद क्या होगा। तों मैंने कहा कि आप बताओ क्या क्या हो। उन्होंने कहा कि आप यह यह चीजे खिजर हयात से कह दे। यह वह वक्त था जिस वक्त खिजर और सच्चर की गवर्नमेंट थी। खिजर की जबान लोहे की जबान है। अफसोस कि ऐसे आदमी हमारे बीच से चले गये। मैं अपने जजबात लीडर आफर दी हाउस के साथ बाबस्ता करते हुए उन सब के सामने अकीकत के साथ सिर झुकाता हूँ।

**चौधरी राम लाल वधवा (करनाल):** स्पीकर साहब, पिछले जितने भी सै इन हुए, उन सबमे ही ऐसा हुआ है और ऐसा लगता है कि दे । की स्वतन्त्रता के लिये फ्रीडम फाईटर के तौर पर जिन्होंने काम किया और दे । की स्वतन्त्रता के बाद भारत की वृद्धि और विकास के अन्दर बढ़-चढ़ कर अपना रोल अदा किया, वे महान भाखिसयतें एक-एक करके आज हमारे बीच से जुदा हो रही है। उसी प्रकार से आज के इस भाोक प्रस्ताव के

अन्दर भी हम उन महान विभूतियों को श्रद्धंजलि अर्पित करने के लिये यहां हाउस मे इकट्ठे हुए है। मैं बड़ी तफसील के साथ जैसे कि यहां पर कहा गया है, उनके बारे मे नही जाऊंगा। मैं केवल दो—एक हमारे डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं मैं समझता हूं कि मौलूदा जमाने के अन्दर, जिसे हम मौडर्न युग कहते है, वे सारे संसार के अन्दर भारतीय संस्कृति के प्रतीक रहे। और हिन्दु फिलासफी के मान बिन्दू बनकर उन्होंने हिन्दू संस्कृति को विदे गो मे पहुंचाया। वे दे गो के लिए एक मार्ग दर्शक थे। अपनी योग्यता और कर्मठता के कारण वे राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। मैं तो केवल उनके बारे मे इतने ही भाब्द कहूंगा कि राजनीति के अन्दर होते हुए भी वे राजनीति से अलाहिदा रहे जैसे कि कीचड़ के अन्दर कमल का फूल रहता है। आज उनकी मृत्यु से जो दे गो मे एक खला पैदा हुआ है, मे समझता हूं कि वह पूरा नही हो सकता। उनका पैगाम एक ऐसा पैगाम था जिसे हम पैगाम ही नही कह सकते बल्कि यह कह सकते है कि दूनिया के के सामने आज के युग के अन्दर जितनी फिलौसफियां है, उनमे हिन्दू फिलासफी व हिन्दू धर्म को उजागर कर दे गो की प्रतिश्ठा को बढ़ाया है।

इसके साथ ही दूसरे महान नेता श्री खंडू भाई देसाई है। उनका भी अपने दे गो के अन्दर एक अलाहिदा स्थान हैं विचारधारा का इख्तलाफ हो सकता है लेकिन ट्रेड यूनियन एक्टीविटीज के अन्दर उन्होंने जो काम किया है, सारे भारत के लोग उसको भूल नही सकेंगे। लेबर मूवमेंट के लिए उन्होंने अपने

जीवन को लगायां वह पहले ही व्यक्ति थे जिनके जीवन के अन्दर इंटक को बनाया गया और 1947 से लेकर 1950 तक वह इसके सैक्रेटरी रहे और 1950 से लेकर 1953 तक प्रधान के पद पर काम किया। स्वतन्त्रता के बाद उन्होंने मजदूरों के हकूक के लिए और उन्हें संगठित करने के लिए जो काम किया, उसे हम भूल नहीं सकेंगे।

इसी प्रकार से मिस पदम जा नायडू है। मैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं। उन्होंने इंडियन रैडक्रास सोसायटी के चेयरमैन की हैसियत से बहुत काम किया है। जब बंगला दे आ से करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजीज भारत आए और जिस प्रकार से रैडक्रास के द्वारा सहायता कार्य किया गया उससे उनका नाम भारत के अन्दर सदा रो आन रहेगा। एक फ्रीडम फाईटर सारा जीवन अपने दे आ के लिए सोचता है और जो भी काम करता है वह दे आ की भलाई को सामने रखकर करता है। उन्होंने न अपने परिवार के लिए और न अपने निजी जीवन के लिए कुद सोचा। इसी प्रकार से उन्होंने बड़ी बहादूरी के साथ हैदराबाद के निजाम का मुकाबला किया। निजाम के आगे सिर नहीं झुकाया बल्कि मजबूती के साथ उसका मुकाबला किया। यह भी तारीख के अन्दर एक रो आन पहलू हमारे सामने रहेगा।

इसी तरह से सर खिजर हयात खां टिवाना को, हम लोग जो आजादी के बाद पाकिस्तान से आए, नहीं भल सकते। यह वही आदमी था जिन्होंने मुस्लिम लीग से कोई गठजोड़ नहीं



किया और वजारत से इस्तीफा दे दिया लेकिन दे 1 को दो टुकड़ों के अन्दर तकसीम करने वाली बात पर अपना सिन नही झुकाया। हम इनको कभी नही भूल सकते।

इसी तरह से और भी महानुभाव है, विभूतियां है जिनका इस प्रस्ताव के अन्दर जिक्र आया है। स्पीकर साहब, इस संसार के अन्दर हजारों लोग रोज पैदा होते है और हजारों लोग रोज मरते है लेकिन वे बड़ी भाखिसयत होती है और उनके आगे सर झुकता है जिनको जनता के नुमांयदे On the floor of the House श्रद्धांजलि अर्पित करते है। मैं लीडर आफ दी हाउस ने जो भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका अनुमोदन करता हूं और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि वह उनको अपने चरणों में स्थान देक। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस दुःख को बर्दा त करने की भाकित प्रदान करे।

**श्रीमती लेखवती जैन (अम्बाला):** स्पीकर साहब हाउस के सामने जो भाोक प्रस्ताव है मैं अपने आपको उस भाोक प्रस्ताव में सम्मिलित करती हूं। हाउस के अन्दर लीडर आफ दी हाउस और आनरेबल मेंबर्ज ने जो विचार प्रकट किए है मैं उनसे कहमत हूं। जनाब, हमारे दे 1 की ऐसी भाखिसयते हमें छोड़ गई है जिनकी जगह पूरी होना बहुत मुश्किल है। श्री राधा कृष्णन हमारे दे 1 के बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। उनके बारे में जितना कहा जाए मैं समझती हूं कि वह बहुत कम है।

इसी तरह से श्री खंडू भाई देसाई है जिन्होंने गरीबों औरलेबर के अन्दर बहुत काम किया है। डॉ. राधा कृष्णन और खंडू भाई देसाई से मेरी पर्सनल वाकफियत थी। मैंने इनसे बातें की हैं और इनको अच्छी तरह से जानती हूँ।

मुझे बड़ा अफसोस है कि आज हमारे देश की एक और महान हस्ती, एक बहुत बड़ी औरत पदमजा नायडू चली गई है। आज जब कि women year चल रहा है, इस साल में पदमजा नायडू हमारे दरमियान से न जाती। उनके जाने से देश को और विशेष रूप से स्त्री समाज को बहुत दुःख होगा कि इस साल में हमें बहुत कुछ मिलने वाला था और हमें उनके ऊपर बहुत नाज था। इस साल में हमारे बीच से न जाती तो कितना अच्छा होता। इसके बाद राजेन्द्र नारायण सिंह दयो, श्री प्रताप सिंह जो असैम्बली के मँबर रहे, श्री देवेन्द्र नाथ महतो, प्रिंसिपल रला राम, इन सब हस्तियों के जाने से बड़ा अफसोस हुआ है। इस हाउस के अन्दर अभी जिक्र आया सर खिजर हयात खां टिवाना का, जो आज नहीं है। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला 1937 में जब कि इलैक्ट्रान होने के बाद वे चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त मैं उस हाउस में तो नहीं थी लेकिन मुझे याद है कि जब भी कोई उनसे मिलता तो वे बड़े प्रेम से मिला करते थे। मैं उनकी वह बात नहीं भूल पाती जो वह मिलते ही कहा करते थे— “राजी—बाजी” यह भाब्द मैं समझती हूँ, भूलाए नहीं जा सकते। इन चन्द भाब्दों के साथ मैं अपनेआपको इस भाोक प्रस्ताव से सम्मिलित करती हूँ।

**Mr. Speaker:** Hon. Members, in the passing away of Dr. S. Radhakrishnan, former President of India, and the country has become poorer due to the loss of a seasoned statesman and a Philosopher. Befor assuming Presidency, he held many offices both at home and abroad with dignity and distinction. The country will always remember him for espousing the cause of the teachers in this country. As Vice-Chancellor of Andhra University and later as Honorary Vice-Chancellor of Banaras Hindu University, he gave a new direction to the adminstration of education. His talks and speeches reveal his intellectual gifts and the highest level of knowledge of human nature. He was an orator par excellance. As Indian Ambassador to Soviet Union he countributed a lot in forging the closest relations between the two countries. As our Vice-President and Chairman, Rajya Sabha from 1952-62 he contributed significantly to the consolidation of our political and parliamentary traditions. His death has created a void which willbe difficult to fill up.

The country has also suffered a loss on account of the death of Sh. Khandubhai Desai, former Governor of Andhra Pradesh. He was one of the architects of the Trade Union movement of India and seved the country bothg inpre-independance and post-independance periods. He was memeber of the Bombay Assembly, in 1937. Later, he was a member of the constituent Assembly, Lok Sabha and Rajya Sabha and wa also Labour Minster in the Central Government from 1954-57.

Miss Padmaja Naidu, veteran freedom fighter and former Governor of West Bengal also passed away the other

day at the age of 75. After relinquishing the charge of Governorship, she was closely associated with various social organisations such as Jawahrlal Nehru Memorial Fund, All India Handicrafts Board, Bharat Sevak Samaj and Hyderabad State Youth Welfare Board. She was also Chairman of the Indian Red Cross Society and the Bangla Desh Refugee Assistance Committee. Like her mother Smt. Srojini Jaidu, Miss Padmaja Naidu has aslso served the nation in various capacities. She was also elected to the parliament in 1950 but resigned her seat two years later because of ill health. She was really a grat daughter of a great mother.

Sh. R.N. Singh Deo, ex-Chief Minister, Orissa was also a renowned Parliamentarian and a leader of the Swatantra party.

Sh. Partap Singh and Sh. Mahato were both members of our Parliament.

Principal Rala Ram was my colleague in the composite Punjab Vidhan Sabha. He did a lot of work for the uplift of his Constituency. He had dedicated himself of the cause of Arya Samaj and education. After the formation of Regional Committees, he was elected as Chairman of the Punjabi Regional Committee.

Malik Khizar Hayat tiwana was the Chief Minister of the pre-partitioned Punjab. He was a symbol of Hindu-Muslim Unity.

I full associate myself with the deep feelings that have been expressed about the passing away of the great leaders and I shall no doubt convey the sympathies of the

House to the bereaved families. Now I request you to kindly observe silence for a minute while standing as a mark of respect to the deceased.

(The House then observed one minute's silence while standing as a mark of respect to the departed souls).

**चौधरी चांद राम:** स्पीकर साह, चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन है.....(विधन).....

**श्री अध्यक्ष:** अभी मुझे सैक्रेटरी ने बताया है कि दो कल अटैन्स मोशन और एक प्रिविलेज मोशन आए हैं। These are under my examination and I will give my decision.

**चौधरी राम लाल वधवा:** स्पीकर साहब, मेरी एक प्रार्थना है कि दो कल अटैन्स मोशन .....(गोर).....

**Mr. Speaker:** I have already said these are under my examination. You gave these notices late.

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं

(क) सभापति तालिका

**Mr. Speaker:** Under Rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairman:-

1. Rao Nihal Singh,

2. Rao Dalip Singh
3. Chaudhri Ishwar Singh
4. Chaudhri Manphul Singh

(ख) याचिका समिति

**Mr. Speaker:** Under Rule 286 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Vidhan Sabha, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions:-

1. Smt. Lekhwati Jain (Deputy Speaker),

*Ex-Officio Chairman;*

2. Rao Dalip Singh;
3. Sh. Gulab Singh Jain;
4. Chaudhri Phool Chand (Rohat); and
5. Chaudhri Phool Chand (Mullana).

I have to inform the House that in pursuance of Rule 224 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the Seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1974-75 was presented to me by the Chairman of the Committee on Subordinate Legislation as this could not be presented to the House before the expiry of the term of the office of the

Committee for the year 1974-75 due to the adjournment of the House *sine-die* on the 17<sup>th</sup> January, 1975.

In pursuance of the aforesaid rule, I had ordered the printing of the seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1974-75.

Now I lay a copy of this Report on the Table of the House.

I have to inform the House that in pursuance of the provision of Rule 224 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the 8<sup>th</sup> Report of the Public Accounts Committee and 7<sup>th</sup> Report of the Estimates Committee were presented to me by the Chairmen of the respective Committees as these could not be presented to the House before the expiry of the term of these Committees for the year 1974-75 due to the adjournment of the House *sine-die* on the 17<sup>th</sup> January, 1975.

In pursuance of the provisions of the aforesaid rule, I had ordered the printing, publication and circulation of the above-mentioned Report.

I now lay a copy each of these Reports on the Table of the House.

सदन के मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

**State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):** Sir I beg—

To lay on the Table the Indian Electricity (Haryana Amendment and Validation) Ordinance, 1975 (Haryana Ordinance No. 1 of 1975).

I also beg to lay on the Table the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Ordinance, 1975 (Haryana Ordinance No. 2 of 1975).

I also beg to lay on the Table the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Ordinance, 1975 (Haryana Ordinance No. 3 of 1975).

I also beg to lay on the Table the Transport Department's Notification No. G.S.R.34/C.A.4/39/Ss 24 and 41/75, dated the 4<sup>th</sup> April, 1975, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana 1<sup>st</sup> Amendment) Rules, 1975, as required under section 133 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

I also beg to re-lay on the Table a copy the Notification No. G.S.R.77/H.A.14/74/S.67/74, dated the 12<sup>th</sup> June, 1974, regarding the Haryana Children Rules, 1974, as required under section 67 (3) of the Haryana Children Act, 1974.

Sir, I also beg to lay on the Table the General Administration Department's Notification No. G.S.R.8/Const./Art.320/Amd (3)/75, dated the 17<sup>th</sup> January, 1975, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1975, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.



Sir, I also beg to lay on the Table the General Administration Department's Notification No. G.S.R.15/Const./Art.320/Amd (4)/75, dated the 10<sup>th</sup> February, 1975, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1975, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission from 1<sup>st</sup> April, 1973 to 31<sup>st</sup> March, 1974, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

### सचिव द्वारा घोशणाएं

**Mr. Speaker:** Now the Secretary will make announcements.

**Secretary:** Sir, I beg to lay on the Table the House of a Statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its last Session held in January, 1975, and have since been assented to by the Vovernor/President.

### STATEMENT

1. The Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members), Bill, 1975.
2. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances, Bill, 1975.

3. The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1975.
4. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1975.
5. The Haryana Appropriation Bill, 1975
6. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1975
7. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill, 1975
8. The Haryana Requisitioning and Acquisition of Moveable Property Bill, 1975

**Secretary:** Sir, I have inform the House that the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitaion) Bill, 1974, which was passed by the Haryana Legislative Assembly on the 26<sup>th</sup> November, 1974, have since been assented to by the President.

Sir, I beg to lay on the Table the House of a copy each of the following documnets received from the Council of States regarding the ratificaiton of the Constitution (Thirty-Eighth Amendment) Bill, 1975 as passed by the Houses of Parliaments.

- (i.) Letter dated the 28<sup>th</sup> April, 1975, received from the Secretary General, Rajya Sabh.
- (ii.) The Constitution (Thirty-Eighth Amendment) Bill, 1975 as introduced in Lok Sabha (English and Hindi versions).

(iii.) The Constitution (Thirty-Eighth Amendment) Bill, 1975 as passed by House of Parliament (English and Hindi versions).

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण  
संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पे 1 करना

**Chairman, Committee on the Welfare of  
Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Sh. Nihal Singh):**

Sir, I beg to present the Second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**चौधरी चांद राम:** स्पीकर साहब, यह रिपोर्टस वगैरह तो आपने पे 1 कर दी लेकिन इन पर बहस के लिये तो टाईम मिलना चाहिये। जैसे पब्लिक सर्विस कमी इन की रिपोर्ट है, वेलफेयर आफ भौडयूल्ड कास्ट और भौडयूल्ड ट्राइब्ज वगैरह है, कम से कम इन पर डिसक इन के लिए तो आप कोई समाधान निकाले।

**Mr. Speaker:** The Business Advisory Committee is meeting today at 5 P.M. We will consider it there.

**श्रीमती चन्द्रावती:** On a point of order, Sir, यह तो जैसे हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड आर्डिनैस वगैरा आते है और फिर उनके बारे मे अमेंडिंग बिल आते है, इस बारे मे मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इनके साथ अगर इनके मेन ऐक्टस

अमेंडमेंटस को समझ सकें और अपने विचार रख सकें। मेन ऐक्ट हमारे पास होता नहीं है.....।

**श्री अध्यक्ष:** आर्डर प्लीज। उस आइटम को तो पहले हाउस के सामन आने दो।

**श्रीमती चन्द्रावती:** मैं तो जनाब यही बात आपके नोटिस में लाना चाहती थी कि आर्डिनैसिज के बारे में जो बिल आते हैं, उनके मेन ऐक्टस भी अगर साथ में मिल जायें तो उनको समझने में आसानी रहती है।

**श्री अध्यक्ष:** हर बिल के साथ रैलेवेंट ऐक्ट में से रैलेवेंट ऐक्सट्रैक्ट लगाया हुआ है। सारा ऐक्ट कैसे साथ लगायेंगे ?

### सरकारी संकल्प

**Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):** Sir I beg to move—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty Eighth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament which seeks to make Sikkim a State in the Union and the Short title of which has been changed into “the Constitution (Thirty Sixth Amendment) Act, 1975.”

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty Eighth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament which seeks to make Sikkim a State in the Union and the Short title of which has been changed into “the Constitution (Thirty Sixth Amendment) Act, 1975.”

**चौधरी दलसिंह (जींद):** अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में भारतीय संविधान को संशोधित करके सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाने जा रहे हैं और इसकी रैटिफिकेशन के लिये सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया है। जहां तक इस प्रस्ताव के समर्थन का संबंध है, मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिस के दिल में देश का हित है, इसकी तार्जद करेगा। जहां तक मेरा सम्बंध है मैं इसकी पुरजोर तार्जद करता हूँ। स्पीकर साहब, मैं यह कहे वगैर नहीं रह सकता कि जो अब पिछले महीने किया गया है यह बहुत पहले होना चाहिये था और यह बहुत पहले हो सकता था क्योंकि सिक्किम बाकायदा तौर पर 1921 में इंडियन चैंबर आफ प्रिंसिज का मेंबर था और जिस वक्त भारत में दूसरी रियासतों का मर्जर हुआ था, उसी वक्त ही सिक्किम का भी मर्जर होना चाहिये था। खैर, अगर इस सरकार को देर के बाद भी यह बात समझ आ गई है तो भी बहुत खुशी की बात है लेकिन उस वक्त यह काम हो जाता तो करोड़ों रुपये जो चोग्याल को मिलते

रहे और वह अपने ऊपर ही उसे खर्च करता रहा यह बचाये जा सकते थे और यह राशि सिक्किम की जनता के लिये डिवैल्पमेंट पर खर्च हो सकती थी। मैं अर्ज करता हूँ कि पिछले महीने की दस तारीख को सिक्किम असैम्बली ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि सिक्किम का विलय भारत के साथ किया जाये और चोग्याल के ओहदे को खत्म किया जाये फिर पिछले महीने की ही 16/17 तारीख को सिक्किम कैबिनेट के सारे मँबर देहली में आकर प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से मिले और उन से प्रार्थना की कि उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है, उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। इसके बाद फिर वहाँ पर जनमत हुआ जिसमें वहाँ 63 फीसदी लोगों ने हिस्सा लिया 59369 लोगो ने मर्जर के हक में और केवल 1494 लोगों ने इस के खिलाफ वोट दिया। जिस वक्त यह वाक्या हो रहा था, उस वक्त ही वहाँ की प्रजातन्त्र पार्टी के चेयरमैन, जो चोग्याल के बहनोई है, उन्होंने एलान किया कि वह अपनी पार्टी को भंग करते हैं। यह हिस्टोरिकल वाक्यात है जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस संबंध में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी यह काम किया गया है यह स्वाभाविक और उचित नहीं लगता है। आज से 22/24 साल पहले जब सिक्किम के लोग यह मांग करते रहे कि भारत के साथ उनका मर्जर किया जाये तब कोई कार्यवाही नहीं की गई और अब एक महीने के अन्दर ही सारी कार्यवाही की गई जो कि स्वाभाविक नहीं मालूम पड़ती है बल्कि यह सरकार की कमजोरी और कोताही जाहिर करती है। कौन सी ऐसी बात थी कि अप्रैल के महीने में ही

प्रस्ताव पास हो गया, अप्रैल के महीने में ही वहां की कैबिनेट के मेंबर प्रधान मंत्री से भी मिल लिये और अप्रैल के ही महीने में ही वहां रिफ्रैंडम हो गया और.....(विघ्न)..... मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सारी बातें 22/24 साल पहले हो जानी चाहिये थी। अब लोग भाक करते हैं कि पुलीटिकल आधार पर यह बातें की गई हैं। सिविकम की सरहदें उन दे गो से मिलती हैं जिनकी हमारी तरफ नजरे अच्छी नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि इस सारी बात की जिम्मेदारी चोग्याल पर है क्योंकि उस ने गलत काम किये और उसके गाईडज ने लोगों को मारना भुरू कर दिया। खैर, मैं अब ज्यादा न कहता हुआ यही अज्र करता हूँ कि अब जो कदम उठाया गया , ठीक उठाया गया है और अच्छा है हालांकि यह बहुत देर से उठाया गया है लेकिन फिर भी अच्छा ही किया गया है। इन भाब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**चौधरी राम लाल वधवा (करनाल):** स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूँ और भारत सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ कि बड़ी भीघ्रता के साथ उन्होंने जो बात आज से 25 साल पहले करनी चाहिये थी वह अब करके सिविकम के लोगों की मनोकामना को पूर्ण किया है.....

**सिंचाई एवं बिजल मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):** उस दिन करते तो भी कुछ न कुछ जरूर कहते (हंसी) बात भली हो या बुरी, कहना जरूर है कुछ।

**चौधरी राम लाल वधवा :** कहने में कमी आप भी नहीं करते। हम भी कहने के लिये आये हैं.....(विघ्न).....तो स्पीकर साहब मुझे खुशी है कि सिक्किम मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा बन रहा है और इसका भारत में अलहाक हो रहा है सिक्किम के लोगों ने आजादी के बाद भी इस बात के लिये आवाज उठाई थी और मैंने इस बारे में पूरी तफसील के साथ पिछली दफा जब 35वीं अमेंडमेंट आई थी, बात कही थी कि यह जो सिक्किम को एसोसियेटेड स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है, यह संविधान की रिप्ट के खिलाफ है और यह देश के हित की बात नहीं है क्योंकि फिर दूसरी स्टेट्स भी इसी प्रकार से क्लेम कर सकती हैं। खैर अब मुझे खुशी है कि इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और अब सुधार किया है। स्पीकर साहब, सिक्किम का अपना एक महत्व है। इसकी सरहदे चीन के साथ लगती हैं जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। चीन ने हमारे देश के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है। इन हालात में सिक्किम में जो हालात चल रहे थे अगर उनको उसी तरह से चलने दिया जाता तो यह देश के लिये बहुत हानिकारक बात थी। जो कुछ चोग्याल वहां पर कर रहा था जिस प्रकार के वहां हालात पैदा करने की वह कोशिश कर रहा था, वह देश के हित में नहीं थे। चोग्याल के औहदा को खत्म करके सिक्किम का भारत के साथ अलहाक किया जा रहा है और इस तरह करके सिक्किम के लोगों को भारत के लोगों की तरह समान अधिकार दिये जा रहे हैं। ऐसा करके सरकार ने भारत और सिक्किम की



सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया है। आज चीन इस बारे में भागेर मचा रहा है लेकिन वह भायद यह बात भूल जाता है कि सिक्किम के लोगों ने तो आज से 25 साल पहले भारत में मिलने के लिये आवाज उठाई थी और उस वक्त से उठाता आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ तिब्बत पर उस ने लोगों की मर्जी के खिलाफ कब्जा कर दिया है और जबरदस्ती अपने में शामिल कर दिया है। आज चीन को यह भागेर मचाने का हक नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार कह हालत आज पाकिस्तान की सलामती के लिए कोर्िा की है। आज इन दोनों मुल्कों की परवाह न करते हुए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। चोग्याल की व्यक्तिगत हकूमत सिक्किम पर थी। वह सिक्किम की जनता के ऊपर अत्याचार करता था। बहुत पहले हमारे देा में होम मिनिस्टर सरदार पटेल होते थे हजन्होंने देा की सारी रियासतों का भारत के अन्दर अलहाक किया और राजे-महाराजाओं के व्यक्तिगत भासन को खत्म किया। लेकिन इन सब बातों के होते हुए एक राजा का राज देखते रहे और 25 साल तक हमने उसकी परवाह न की लेकिन आज चोग्याल की अपनी करतूतों के कारण भारत सरकार ने उचित कार्यवाही करके रैटीफिकेान के लिए जो बिल सदन के सामने पेा किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ स्पीकर साहब, सदन में एक बात कहे वगैर मैं नहीं रह सकता कि जहां हम सिक्किम के लोगों को अपने देा के लोगों के साथ समान अधिकार दे रहे हैं, भारत जैसे विकास िल और प्रगति िल देा के लोगों को एक समान

तरक्की करने, प्रगति करने के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार उनको जहां नागरिकता दे रही है, वहां इस बिल के अन्दर क्लॉज 3 (जी) जोड़ दी गई है जिसको कम से कम मैं पसन्द नहीं करता। क्लॉज 3 (जी) के अन्दर लिखा है—

3. “After Article 371 E of the Constitution, the following shall be inserted, namely:-

“371 F. Notwithstanding anything in this Constitution-

(g) the Governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for equitable arrangements for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim and in the discharge of his special responsibility under this Clause of Governor of Sikkim shall, subject to such directions as the President may, from time to time deem fit to issue, act in his discretion”.

स्पीकर साहब, अपने कांस्टीच्यूशन के अन्दर हम सिक्किम को भारत की दूसरी स्टेट्स के बराबर एक अधिकार दे रहे हैं आर्टिकल 2-ए के नीचे आर्टिकल 2-ए के माध्यम से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के रूप में लाया गया है। उसको समाप्त करके आर्टिकल 2 के नीचे नई स्टेट को भारत के ढांचे के नीचे के ला रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब जो आज जनता के सामने आता है, वह यह है कि जो अधिकार भारत की जनता को हैं वही अधिकार उनको होंगे। आज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक ढांचा भारत की जनता को मिला है और उसी प्रकार

का ढांचा सिविकम की जनता को मिलेगा। लेकिन क्लोज 3 (बी) के अन्दर गवर्नर को स्पे 1ल पावर्ज दे दी है। मैं समझता हूँ कि दूसरी जो क्लोजिज आई है उन के अन्दर क्लीयर लिखा है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर होगी जो इलैक्टड होगी। मौजूदा कौंसिल जो अप्रैल, 1974 के अन्दर चुनाव के जरिए चुनी गई, वह भी कायम रहेगी। असैम्बली को भी पावर रहेगी, वह कानून भी पास कर सकेगीं लेकिन कि असैम्बलियों की स्वतन्त्रता पर, इलैक्टड बौडीज के राइट्स पर यह एक कुठाराघात है। क्या चोग्याल की एजेंसी को इस लिए खत्म नहीं किया कि चोग्याल एक व्यक्ति के रूप में, एक राजा के रूप में स्पे 1ल पावर्ज लेकर जनता के हित के विरुद्ध कार्य कर रहा था ? अगर स्पे 1ल पावर्ज लेकर जनता के विरुद्ध कार्य कर रहा था तो वही चोग्याल के राइट्स लेकर आर्टिकल 3 (जी) के द्वारा गवर्नर को क्यों दिए गए हैं ? इसलिए मैं समझता हूँ कि विधान की यह आर्टिकल 3 (जी) बिल्कुल अनकास्टीच्यु 1नल है। आप इसके अन्दर यह देखें कि गवर्नर की जो एजेंसी है, उसके ऊपर आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक में लिखा है। जो गवर्नर आफ स्टेट्स है, उन क्लोजिज के अन्दर 'गवर्नर' इन्स्टीच्यु 1न को डील किया गया है। आर्टिकल 102 के अनुसार एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 के तहत लिखा है एग्जैक्टिव पावर्ज स्टेट की क्या होगी ? आर्टिकल 155 में है कि गवर्नर एक्वायंट कैसे होगा। आर्टिकल 156 में लिखा है कि टर्म्ज क्या होगीं आर्टिकल 157 में है कि क्वालिफिके 1न फार एक्वायंटमेंट क्या होगी। आर्टिकल 158 में है कि कंडी 1न आफ

गवर्नर आफिस क्या होगी। उसके अन्दर यह लिखा है कि गवर्नर जो है वह कौंसिल आफ मिनिस्टर .....(व्यवधान).....

**Mr. Speaker:** Order please. This has been passed by both Houses of Parliament, and this has come for ratification.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** We can disapprove it if it is unconstitutional. If we are going to ratify it, when we have a right to give and forward our sentiments to the Central Government.

**Mr. Speaker:** The resolution before the House is for ratification.

**चौधरी राम लाल वधवा :** कांस्टीच्यू इनल अमेंडमेंट तब होगी जब आधी असैम्बलियां इसको रैटीफाई कर देगी और प्रेजीडेंट उसको अप्रूव करेगा। जब प्रेजीडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि कोई क्लोज जिसको वह अनकांस्टीच्यू इनल समझे, उसे पार्लियामेंट को दोबारा रैफर कर सकता है। इसलिए इस में जो लीगल फला है, अनकांस्टीच्यू इनल बाते हैरु वह मैं सदन के सामने रख रहा हूँ और वे सदन के सामने आनी भी चाहिए ताकि राष्ट्रपति उनको देख सके। स्पीकर साहब, इसके अन्दर आर्टिकल 160 में क्लोज है। इसमें लिखा है—

“160. The President may make such provisions as he thinks fit for discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided in this Chapter.”

लेकिन इसके अन्दर यह था कि गवर्नर काँसिल आफ मिनिस्टर्ज के मातृव से काम करेगा लेकिन यह कर दिया है कि गवर्नर जो चहोगा, काँसिल आफ मिनिस्टर्ज उसे अनुसार काम करेगी और विधान सभा को अंगूठा लगाना पड़ेगा। यह चीज हमारे फण्डामेंटल राइट्स के अगेन्सट जाती है। आर्टिकल 164 के अन्दर लिखा है—

“The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State”.

इस आर्टिकल के तहत काँसिल आफ मिनिस्टर्ज कुलैक्टिवली रिस्पॉंसिबल होगीं असैम्बली वहां बैठ कर सारे सिविकम के लोगों की बातों पर विचार करेगी लेकिन यहां सारे अधिकार एक गवर्नर को दे दिए गए हैं जो खतरनाक चीज है। डैमोक्रेसी के अन्दर अगर हम यह चीज पास कर देते हैं कि गवर्नर को पावर दी जाए तो कल को हरियाणा और दूसरी स्टेट्स की जो विधान सभाएं हैं वे भी कांस्टीच्यूशनल अमेंडमेंट की मांग करेगी। कांस्टीच्यूशन के अन्दर अमेंडमेंट लाकर उसके अधिकार गवर्नर को दिए जा सकते हैं जो कि लोकतान्त्रिक ढांचे की स्पिरिट के विरुद्ध है। यह डिक्टेटराना निजाम का कदम है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि जब यह क्लोज राष्ट्रपति झाको स्वीकृति न दे। हमें इस बात की क्षुभी है कि सिविकम भारतवर्ष की दूसरी स्टेटों की तरह एक स्टेट बन गई है। मुझे इस बात की क्षुभी है कि सिविकम भारतवर्ष की

दूसरी स्टेटों की तरह एक स्टेट बन गई है। मुझे इस बात की खुशी हैं इसके बारे में मैं एक दिन डिटेल में पढ़ रहा था। मैंने असैम्बली के पेपर भी पढ़े। जब पार्लियामेंट के सदस्य इस पर बोल रहे थे तो एक कम्युनिस्ट सदस्य और एक कांग्रेसी सदस्य श्री ए.सी.डी. मालवीया और जै.ए. अहमद ने कहा था कि सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलना चाहते थे लेकिन सरदार पटेल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि ऐसा किया जाये मैंने जब इसकी बैक ग्राउन्ड देखी तो पढ़े पर मालूम हुआ कि सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे जिन्होंने इस देश पर महान उपकार किया है। पंडित नेहरू उस समय प्रधान मंत्री थे। जब सिक्किम के बारे में प्रपोजल आई तो उनकी यह वर्डिंग थी—

“I do not want a small territory to be swallowed by a big country like ours”.

लेकिन आज मुझे खुशी है कि उसी प्रधान मंत्री की सुपुत्री ने प्रधान मंत्री होते हुए आज उन लोगों की डिमांड को स्वीकार किया है और उसी सिक्किम को आज भारत में शामिल किया जा रहा है। यह तो स्पीकर साहब ठीक है लेकिन दूसरी तरफ जो जम्मू के मीर के लोगों को स्पेशल राइट्स दिये जा रहे हैं, वह बात कुद अखरती है जम्मू के मीर के लोगों को उसी प्रकार के अधिकार और सिटिजनशिप मिलनी चाहिए जो कि देश के दूसरे लोगों को मिली है। हम यह चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को खत्म करके उनको भी सिक्किम की तरह देश का एक हिस्सा

मानना चाहिए। इन भावों के साथ, स्पीकर साहब, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को रैटिफाई करके अब य भेजना चाहिए लेकिन उन बातों के साथ जो मैंने इस सदन के सामने आपके द्वारा रखी ।

**श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद):** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रैजोल्यूशन हमारे सामने अपने लीडर आफ दी हाउस ने रखा है, मैं तय दिल से उसकी तार्ईद करना चाहता हूँ और आपकी मारफत अपने हाउस की तरफ से अपनी मारफत अपने हाउस से अपनी मजबूत प्रधान मंत्री को मुबारिकबाद देना चाहता हूँ। हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की कल्चर और हमारे भारत के ऐडमिनिस्ट्रेशन को बाहर के लोगों ने भी माना और सिविकम के लोगों ने उसे खुशी से कबूल किया और चाहा कि उसे भारत का एक सूबा बनाया जाए। यह एक बड़ी भारी खुशी की बात है। इस बात के द्वारा तो सचमुच सारे संसार में हमारी प्रधान मंत्री ने भारत के नाम को ऊंचा किया है इसके लिए मैं दिल से उन्हें मुबारिकबाद देना चाहता हूँ। इसके बाद, स्पीकर साहब, मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी मुबारिक देना चाहता हूँ क्योंकि हर अच्छे काम में ये पहल करते हैं। पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद ग्यारह असैम्बलियों की रैटिफिकेशन होनी है। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले यह सेशन बुलाया और यह रैजोल्यूशन पास हो करके चला जाएगा।

इसके अलावा, स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत यह भी कहना चाहूंगा कि सिक्किम के इस फैसले से बाहर के कुछ मुल्कों, चीन और पाकिस्तान आदि के पेट में दर्द लग रहा है। उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि—

“जलने वाले जला करें, किस्मत हमारे साथ है।”

स्पीकर साहब, मेरे कुद साथियों ने बोलते हुए कहा कि अगर यह पहले हो जाता तो और भी अच्छी बात होती। उनको भी एक मीठा सा जवाब मैं देना चाहता हूँ। फारसी की कहावत है कि—

“देर आयद दुरुस्त आयद।”

स्पीकर साहब, समय बलवान है। समय के मुताबिक सब बातें चलती हैं। तो अच्छी बात को अगर हम बगैर हीलो—हुज्जत, बगैर क्रिटिसिज्म किए, स्वागत करें तो बहुत अच्छा होगा। इनके दिल में कुछ और हो और मेन में कुछ और हो, तो बात अच्छी नहीं लगती तो स्पीकर साहब, इन अलफाज के साथ, मैं इस रैजाल्यू इन की तार्ईद करता हूँ और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लीडर आफ दी हाउस ने जो रैजाल्यू इन हाउस में रखा है, उसको जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिए।

**श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा—अनुसूचित जाति):** स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने कांस्टिच्यू इन की 38वीं अमेंडमेंट, जो हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसिज से पास हो



चुकी है, रैटिफिके ान के लिए है। मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं और स्वागत भी करता हूं। जब हम पढ़ते थे तो हिन्दुस्तान के भुमाल मे तीन स्टेटस ऐसी है जो चाईना बार्डर के साथ और हिन्दुस्तान बार्डर के साथ लगती है। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त दलाई लामा तो हिन्दुस्तान मे आ गए और तिब्बत जबरदस्ती चाईना ने हथिया लिया। दूसरी और भूटान और सिक्किम के लोग हिन्दुस्तान मे मिलना चाहते थे लेकिन राजनीतिक हालात की बिना पर उस समय वे हिन्दुस्तान मे भामिल नही हो पाएं इसके फलस्वरूप बदस्तूर वहां की जनता मे यह आग भड़कती रही और बार बार उनकी यह ख्वाहि ा उभर कर सामने आती थी कि उन्हे हिन्दुस्तान मे मिलाया जाए लेकिन सिक्किम के चोग्याल, जो चाईना के एजेन्ट बने हुए थे, अपनी मनमानी करते रहे। अन्त मे एक दिन ऐसा आया कि सिक्किम की जनता चोग्याल के विरुद्ध खड़ी हुई। उसने उसे अपना राजा मानने से इंकार किया। वहां पापुलर गवर्नमेंट ऐस्टेब्लि ा हुई और सारे सिक्किम के मिनिस्टर्ज और बहुत सारे इम्पौर्टेंट वी.आई.पीज. हमारी प्रधान मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि वैसे तो उन्हें हिन्दुस्तान मे पच्चीस वर्ष पहले मिलना चाहिए था लेकिन अगर अब भी उन्हें ठुकराया गया तो वह इन्सानियत के नाते से कुठाराघात होगा। प्रधान मंत्री ने अपना वि ाल हृदय दिखाया और सिक्किम के लोगों को छाती से लगाया और उसके परिणामस्वरूप आज यह बिल रैटिफिके ान के लिए सदन के सामन हैं मैं, जैसा मैंने भुय मे कहा, इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं। मैं यह समझता हूं कि

सिक्किम के लोगों को वही अधिकार हैं जो आंध्र प्रदेश और हरियाणा आदि के लोगों को है। इसी तरह का स्टेटस उनका होगा। वह हिन्दुस्तान की बाईसवीं स्टेट होगी और वहां उसी तरह का राज चलेगा जिस तरह का राज दूसरी स्टेटस का चलता है। मेरे कुछ साथियों ने, स्पीकर साहब, कुछ कांस्टिट्यूशनल आपत्तियां जाहिर की हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन बातों के बारे में तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसिज में पहले ही छानबीन हो चुकी है और उसके बाद ही यह बिल दोनों हाउसिज से पास हुआ है। मैं तो समझता हूं कि इस स्टेज पर कोठ भी आपत्ति उठाना उचित नहीं है। कानूनी बिना पर भी वे निराधार हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि जो बिल हाउस के सामने रैटिफिकेशन के लिए पेश है उसको हम यूनानिमसली पास कर दें। स्पीकर साहब, मैं तो यह भी महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान में मिट्टी का बना कोई भी ऐसा इन्सान नहीं हो सकता जो सिक्किम के अलहाक का स्वागत न करे। जो ऐसा इन्सान हिन्दुस्तान में है वह हिन्दुस्तानी नहीं है। इसलिए मैं फिर दुबारा यह दोहराता हूं कि रैटिफिकेशन के लिए जो बिल हमारे सामने है इसको हमें यूनानिमसली पास करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इन भावों के साथ, स्पीकर साहब मैं अन्त में इसका फिर स्वागत करता हूं।

**चौधरी पीर चंद (बरवाला अनुसूचित जाति):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सिक्किम का हमारे सामने है, मैं

इसकी पुरजोर ताईद करता हूं। इसमे भारत के लिए वह खुशी की बात है जो आज से बहुत दिन पहले हो जानी चाहिए थी। आज सिविकम भारत का अंग बनने जा रहा है। उन लोगों की भावनाओं को कबूल करके, उन लोगों के जजबात को अपने हृदय से लगा करके, हमारी भारत सरकार ने बहुत ही तारीफ योग्य काम किया है और मैं इसका बड़े भारी जोर से स्वागत करता हूं। मैं इसे सरकार की फराख दिली और हिम्मत की बात समझता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सरकार के नौटिस मे यह बात भी लाना चाहता हूं कि दूसरी तरफ कुछ इलाका ओर जो अभी भारत का अंग बनना बाकी है। वह इलाका पहले का मीर के साथ था लेकिन बादमे कट करके पाकिस्तान मे चला गया। मैं इस हाउस के द्वारा भारतीय सरकार से निवेदन करता हूं कि उस इलाके को भी भारत मे मिलाने के लिए या तो पाकिस्तान की सरकार से बात करे या दूसरे दे को की तमाम पंचायत के सामने यह मसला रख करके उसे भारत का अंग बनवाया जाए क्योंकि आज से 27 साल पहले पाकिस्तान ने नाजायज तौर पर उसे भारत से हथियाया हुआ है। आज हालत यह है कि कुछ लोगो के रिस्तेदार तो पाकिस्तान मे बैठे हुए है जब तक वे स्वयं हिन्दुस्तान मे है। पाकिस्तान वाले लोग चाहते है कि वे हिन्दुस्तान मे मिलें और हिन्दुस्तान वाले चाहते है कि वह इलाका हमारा अंग बने लेकिन मैं यह नही समझ पाता कि किस वास्ते भारत सरकार अपने आप को कमजोरी मे महसूस करती है। इस दिनांक मे सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए क्योंकि तभी वे बच्चे जो उधर पाकिस्तान मे बैठे है और

जिनके मां बाप हिन्दुस्तान में हैं, चैन का सांस ले सकेंगे। अंत में मैं फिर इस सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो का मीर का इलाका बंदा हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी भारत का अंग बनाने के लिए यह गौर करे। इतना ही कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी):** स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव पार्लियामेंट ने पास किया और यहां पर रैटिफिकेशन के लिए भेजा है, मैं इसको वैलकम करता हूँ और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से मुखालफत करते हुए अपोजीशन ने ट्रिब्यूट पेस किया, उससे ज्यादा ट्रिब्यूट गवर्नमेंट आफ इंडिया को और तरीके से दिया नहीं जा सकता। एक आनरेबल मੈबर ने कहा कि पहले तो अननससरीली डील की और फिर बाद में बहुत जल्दी यान हरी की।

जो लोग हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन को जानते हैं, उनके हरफों को ही नहीं, उसकी स्पिरिट को भी जानते हैं, वे जानते हैं कि हिन्दुस्तान कोई एम्पायर बिल्डर मुल्क नहीं। हिन्दुस्तान कभी भी एम्पायर बिल्डर मुल्क नहीं हुआ। आज दोनों पार्लियामेंटों ने जो प्रस्ताव पास किया है, वह हिन्दुस्तान के लोगों ने ही किया है। जो कुछ, जितने तरीके से, सिविक स्टेट के बावजूद जिस हद तक जो चीज चाहते रहे, उससे आगे हिन्दुस्तान ने कुछ भी नहीं किया। मेरे दिल में पंडित नेहरू जी के लिए बड़ी इज्जत है लेकिन आज जो इन्होंने पढ़ कर सुनाया

उससे वह इज्जत और भी बढ़ी। 1947 में जब इंडिया इन्टीग्रेट किया जा रहा था, उसमें एक बहुत बड़े महा पुरुष सरदार पटेल का हाथ था। सिक्किम बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिक्किम ब्रिटि ा हिन्दुस्तान की रियासत कभी नहीं थी। सिक्किम प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी। प्रोटेक्टोरेट का हिन्दी या उर्दू के माने का मुझे पता नी लेकिन सिक्किम प्रोटेक्टोरेट थी, स्टेटस लैवल पर कभी थी ही नहीं। यह बात कहना कि सिक्किम के लोग तो उस वक्त भी हिन्दुस्तान में भामिल होना चाहते थे, यह इग्नोरेंस थी। उस वक्त सब तरह की ओपीनीयन थी। फ्यूडलिज्म का ढांचा इतना मजबूत था यही चोग्याल की इंस्टीच्यू ान जिसे अबौलि ा किया जा रहा है, उसकी लोग इस तरह से इज्जत करते थे जैसे कि बेवकूफ जाट लोग महाराजा भरतपुर की करते हैं और सरदार साहिबान महाराजा पटियाला की व उन बुजुर्गों की जो अय्या ा थे और कहते हैं 'साड़ी रियासत, साड़ी रियासत' एक हालत वह भी थीं यह पब्लिक ओपीनीयन जो अब सिक्किम में क्रियेट हुई है यह 1947 के दिनों में और उसके बाद नहीं थी। अब में यह पूछना चाहता हूं कि कौनसा कांस्टीच्यू ानल विहकल था जिसके द्वारा वहां की हम पब्लिक ओपीनीयन जान लेते। 1950 तक तो सिक्किम में कोई भी किसी किस्त की रीप्रेजेंटेटिव इंस्टीच्यू ान नहीं थी। पब्लिक ओपीनीयन जाने का तरीका याह रैफरेन्डम जो चुनी हुई इंस्टीच्यू ान होती हैं उनके जरिए ही होता है। यह उस वक्त वजूद में ही नहीं थी। इसलिए उस स्टैज पर हिन्दुस्तान के बहुत बड़े महापुरुष जो कि इतनी बड़ी सलतनत एरिया का प्राइम

मिनिस्टर था, अपनी कलम से यह लिखता है कि हम इस रियासत को ग्रैब नहीं करते। इससे वैटर सबूत हिन्दुस्तान की नेक-नियती का, इससे जयादाक्लीयर चपेट चाइना के फारन डिपार्टमेंट पर हो नहीं सकता। जिस वक्त हम फौजों से कब्जा कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमने 14 वर्ष तक इंतजार कियां हम हरी मे कभी नहीं थे क्योंकि जब तक उनकी जनता इजहार न करे we can't adopt Chinese way जो उन्होंने तिब्बत मे किया। We can't adopt Pakistani way जो उन्होन पुंछ मे किया। हिन्दुस्तान मे जमहूरियत है और जो कुछ होना था वह कांस्टीच्यू इन के मुताबिक होना था। इसलिए कोई डिले नहीं हुई। हिन्दुस्तान ने एम्पायर बिल्डिंग के लिए कोई एक्सटैं इन नहीं की। जब जनता ने चोग्याल को उठाकर फैंका तो हमने एक्सैप्ट कर लिया इसलिए अमेंडमेंट आई। जब उन्होंने हिन्दुस्तान मे भामिल होने के लिए अपने ही mutual interest मे कहा तो हमारे दोनो रैप्रैजेंटेटिव इन्स्टीच्यू इन ने कांस्टीच्यू इन को अमेंड करके उसको भामिल कर लिया, डिले नहीं की। यह हिन्दुस्तान का तहजीबयाफता तरीका है, कांस्टीच्यू इनल तरीका है जिससे इतने दिन लगे इसी तरह अप्रैल मे कोई हरी नहीं थी, जिस तरह लोगों के जजबात मार्च करते रहे, जिस तरीके पर लोगों के जजबात काम करते रहे, जो उन्होंने चहा, वह हुआ। इसमे न हरी हुई न डिले हुई और न नहरू ने जब यह लिखा कि हम छोटी सी एम्पायर को हड़म्प नहीं करना चाहते, उन्होंने बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट हिस्टरी के लिए दिया। चाइना के लिए सबक दे गये थे और मुल्कों के लिए भी अगर कोई ले तो।

दूसरी जो बात कही गई कि गवर्नर को पावर ज्यादा दे दी, वे इस पहलू को भूल गये कि गवर्नर को इन हालात में, स्पै 1ल हालात में पावर दी गई है लेकिन Governor is of the Centre जो पावर चोग्याल के पास थी, वह गवर्नर के पास चली गई। Chogyal was a feudal lord and Governor is always a part of central Government एकदम अपने कंट्रोल को कैसे छोड़ दे जब कि उन्होंने अपने ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी ली है। एक नोट भी इस बारे में नैक्सट पेज पर आनरेबल मैनबर ने जरूर पढ़ा होगा इतनी फायनें 1ल जिम्मेवारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं उस मुल्क को डिवैल्प करने की, उस एरिया को डिवैल्प करने की तो गवर्नर को पावर दी जानी ही थी। Power of feudal lord and Governor of the Cenral Government are of quite different nature and there is no similarty between the two तो यह कहना कि बाकी गवर्नरज को भी कांस्टीच्यू न अमेंड करके इस तरह की पावरज है डैमोक्रेसी में। हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी में सिविकम के गवर्नर को कुछ पावर देने में कोई डर नहीं है। फिर एक बात जो की का मीर वाली, स्पीकर साहब.....

**Mr. Speaker:** That is not relevant. You need not repeat it.

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब वह बात रिकार्ड पर आ चुका है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** आपका जवाब देना कैसे जरूरी है ?  
(व्यवधान) का मीर का सिक्किम से कोई वास्ता नहीं।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** का मीर का सिक्किम से यूं वास्ता है कि इस रैटिफिके इन से जो फारन डिपार्टमेंट के बारे में रैफरेंसिज किए गए हैं, उस में कहा है कि का मीर में गलती की जा रही है लेकिन मैं कह रहा हूं कि का मीर में जो सरदार स्वर्ण सिंह जो सिक्किम और का मीर की प्रॉब्लम सौलव कर गए, उसके लिए इस मुल्क को उनका हमें आ के लिए म आकूर होना चाहिए। इसके अलावा इस का मीर का कोई और सोल्यू इन ही नहीं था जो सोल्यू इन अब किया जा रहा है। यह सिक्किम की लाइनों की तस्वीर है। उनकी (का मीर) स्पै राल पावर्ज खत्म करना, उन लोगों का अपना काम है। अगर का मीर के लोग कहेंगे कि स्पै राल पावर्ज खत्म कर दो, अगर वे असैम्बली का रैजोल्यू इन पास करेंगे भोख अब्दुल्ला की रहदुमाई में तो हिन्दुस्तान वही करेगा जो सिक्किम में किया है। सिक्किम में जो कुछ हुआ है उसके लिए हर हुबबल वतन हिन्दुस्तान को खु आ होना चाहिए। Kashmir problem is also being solved by that great foreign department which has solved Sikkim problem. का मीर की प्रॉब्लम में वे लोग डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, स्पीकर साहब, जो का मीर के मुसलमानों को यह एहसास देते हैं कि अगर हिन्दुस्तान में चले गये तो हिन्दुस्तान की जो कम्यूनल फिरकाप्रस्त पार्टीज हैं वे उनको खा जाएंगी। इसलिए का मीर को



हिन्दुस्तान में न आने देने के लिए वे लोग जिम्मेवार हैं जो हिन्दुस्तान में मजौरिटी कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं।

**Mr. Speaker:** Order please. You need not discuss Kashmir here.

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** का मीर को तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा स्पीकर साह मैं तबकों कर रहा हूँ इसी किसम का रैजोल्यूशन इन within a year मैं बिल्कुल खुद फहमी में हूँ इसके मुताल्लिक, within a year. इसी किसम का रैजोल्यूशन आने वाला है, आएगा और वह भी बड़ी भारी कामयाबी होगी। इन अलफाज के साथ मैं इस प्रस्ताव को वैलकम करता हूँ और मैं हाउस में अर्ज करूंगा कि इस में कोई किसी किसम की कांस्टीच्यूशनल डिफिकल्टी नहीं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई गलती ही नहीं है। क्योंकि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसिस ने इसे पास कर दिया तो हमें इअमेंटमेंट का तो हक ही नहीं है। या तो इसको रेटिफाई/स्पोर्ट करे या रिजैक्ट करे। मुझे खुशी है कि हिन्दुस्तान में डी.एम.के. ने तड़क का वैलकम किया है और यह हिन्दोस्तान की इंटेग्रेशन की तरफ सिविकम की अपनी खाहिश के मुताबिक, सिविकम के अपने इंट्रैस्ट में बेहतरीन कदम है। इन अलफाज के साथ मैं इसकी तार्ईद करता हूँ।

**चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी):** आदरणीय स्पीकर साहब, संविधान के आर्टिकल 368 (2) के अधीन संविधान (38वीं अमेंटमेंट) बिल, 1975 सिविकम के बारे में पार्लियामेंट के दोनों

सदनों से पास होकर इस सभी के समर्थन के लिए, अनुमोदन है लिए आया है। जहां तक इस अमेंडमेंट का संबंध है, मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह दे 1 के लिए बहुत अच्छी बात है। जो दे 1 का हिस्सा अलग थलग किन्ही कारणों से था, इस बारे में मैं ज्यादा विवरण नहीं देना चाहता हूं लेकिन वह किन्ही कारणों से अलग रहा, वह अभी भामिल हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सिविकम का दे 1 में विलय होने के बारे में कोई भी दे 1 का व्यक्ति यह बात मन में नहीं ला सकता कि यह बात ठीक नहीं है। बल्कि इससे तो हरेक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई है। जिस ढंग से इसका अब विलय हुआ है, यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन उसमें थोड़ी सी देरी लगी है। इसके साथ साथ जिस तरह से अब विलय किया गया है, पहले विधान सभा ने प्रस्ताव रखा, उसके बाद फिर रैफरेंडम यानी राय भुमारी की बात हुई और फिर इसका इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रचार किया गया, यह कोई अच्छी अच्छी बात नहीं लगती। किसी माननीय सदस्य ने तो इस ढंग से भी कहा कि जब कोई दूसरी स्टेट ऐसा प्रस्ताव करेगी तो हम करेंगे। इसलिये मेरा कहना यह है कि इस तरह की बातें करना दे 1 के लिये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि अगर हम ऐसी बात जो हमारे प्रान्त है, सूबे है या जो हमारे इलाके है या जो हमारी असैम्बलियां है, उन्ही पर छोड़ दे और सोचें कि राय भुमारी से कोई इलाका दे 1 का हिस्सा बनेगा तो इससे एक बहुत खतरनाक भावना लोगों के अन्दर आ सकती है। इस तरह से तो कोई भी स्टेट इस प्रकार का असैम्बली का प्रस्ताव पास

कराकर और रैफरैन्डम कराकर केंद्र के सामने अपने आपको अलग रखने के लिये भी प्रस्ताव भेज सकती है हालांकि हमारे संविधान में अलग होने के लिये ऐसी कोई बात नहीं है परन्तु इस तरह से एक कठिनाई हमारे सामने खड़ी हो सकती है। जिस प्रकार से हम लोगों के अन्दर खड़े होकर यह कहते हैं कि हमने सिविकम तब मिलाया जब वहां के लोगो ने राय भुमारी से हमें यह कहा, यह ठीक नहीं है। इस तरह का प्रचार करना लोगों के मन में उथल-पुथल पैदा कर सकता है और जिन लोगों के मन में अलाहिदा होने की भावना है, उनको एक अवसर प्रदान कर सकता है। इसवास्ते इस तरह से एक खतरनाक रुझान आ सकता है। मेरा कहना यह है कि इसका बहुत अधिक प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको बेस या बुनियाद नहीं मानना चाहिए कि इसी ढंग से कोई इलाका दे । का हिस्सा बनेगा। जिमना कुछ इस पर कहा जा चुका है, मैं समझता हूं उसको यही समाप्त किया जाना चाहिए और यही कहा जाना चाहिए कि यह हमारे दे । का ही एक हिस्सा था। यह एक अलग बात है कि दे । से दे । में मिला लेकिन मिल गया, यह एक अच्छी बात है।

इसके साथ ही दूसरे इलाकों की बात भी यहां आयी। जो इलाके हमसे अलाहिदा रह गये हैं, उन इलाकों के बारे में भी बिना किसी बात का इंतजार किये कि वहां की असैम्बली प्रस्ताव करने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। जैसे सिविकम मिला है, इस से भी अच्छे ढंग से वे इलाके हमसे मिल सकते हैं।

यहां पर का मीर का जिक्र भी आया। एक दे 1 के अन्दर दो प्रधान और एक संविधान जो हो गया है, इससे कभी न कभी दे 1 के अन्दर कठिनाई खड़ी हो सकती है। इसलिये इसको बहुत जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए। जो इलाका हमारा चीन के कब्जे में पड़ा है, उसको वापिस लेने के लिये भी कोई न कोई कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। तिब्बत जो हमारा हिस्सा था, बहुत पहले हमारे से चला गया हालांकि वहां के हुक्मरान और वहां की जनता हमारे साथ रहना चाहती थी। हमारी सरकार की ढिलाई और लापरवाही से गया, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं कहना चाहता। जैसे मेरे साथी राम लाल जी ने कहा है, जो वहां के गवर्नर को अधिक अधिकार दिये गये हैं, वे अधिकार ठीक नहीं हैं। उसको भी दूसरे गवर्नरों की तरह ही अधिकार मिलने चाहियें यहां पर बार बार यह बात कही जाती है कि यह बिल दोनो हाउसिज आफ पार्लियामेंट से पास होकर आया है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते और इसमें अगर कोई कमी हो तो वह हम बता नहीं सकते अगर यह बात होती तो यह बिल यहां भेजने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब ही यह है कि यहां पर भी सभी मुद्दों पर अच्छी तरह से मन्थन करके, अच्छी तरह से सोच विचार करके अगर इसके अन्दर कोई कमियां दिखाई देती हैं तो उनको सुधारे जाने के लिये आपके द्वारा यह सदन केंद्रीय सरकार यानी पार्लियामेंट या राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि इसके अन्दर यह यह कमियों

है, इसलिये इनको ठीक किया जाना चाहिए फिर उनको कानूनी ढंग से ठीक किया जा सकता है।

वे बातें जो मैंने थोड़ी इतारे के रूप में कही हैं, इनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ताकि वह इन्हें केंद्रीय सरकार के ध्यान में लाये। अगर हम इसको ही बेस या बुनियाद बनाकर चले तो इससे देश के सामने कई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। आज मैं मेरी बातों के ऊपर विचार होगा, इन भावों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।

**Mr. Speaker:** Question is—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Thirty Eighth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament, which seeks to make Sikkim a State in the Union and the Short title of which as been changed into “the Constitution (Thirty Six Amendment) Act, 1975.

*The motion was carried.*

दी फरीदाबाद कम्प्लेक्स (रेगुलेशन एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट

एण्ड वैलीडेशन बिल, 1975

**Irrigation & Power Minister (Shri Banarsi Doss Gupta):** Sir I beg to introduce the Faridabad Complex

(Regulation and Development) Amendment and Validation Bill 1975.

**Mr. Speaker:** If the House agrees, the resolution regarding the disapproval of the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Ordinance, 1975 (Haryana Ordinance No. 3 of 1975) and the motion that the Faridabad Complex Regulation and Development) Amendment and Validation Bill be taken into consideration be discussed together and voted upon separately.

**Vice:** Yes.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal):** Sir, I beg to move—

That this House disapproves the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Ordinance, 1975 (Haryana Ordinance No. 3 of 1975)

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That this House disapproves the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Ordinance, 1975 (Haryana Ordinance No. 3 of 1975).

**Sh. Banarsi Dass Gupta:** Sir, I beg to move—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Bill be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, आर्डिनैस गजट मे छपा और उसमें स्टेटमेंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज नही होते इसलिये फौरी तौर पर यह पता नही लग सकता कि इस आर्डिनैस के पीछे सरकार का क्या मन् ता हैं उसको सामने रखते हुए मैंने यह डिसएप्रूवल का नोटिस भेजा था परन्तु अब जो बिल हमारे सामने पे ा हुआ है और उसमे जो स्टेटमेंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज दिया हुआ है, उसमे मैंने यह देखा है, उसमे यह लिखा है:

“.....It has now transpired that some area of village Ballabgarh did not form part of the Faridabad Complex although the Faridabad Complex Administration had all along treated this area as its part. the situation so emerging has now posed some administrative and fiscal difficulties. With a view to tide over these difficulties and to regularise the actions of the Faridabad Complex Administration taken so far in relation to this area, it has been considered necessary to include this area within the Faridabad Complex.....”

(इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुईं)

तो इसमे बात छोटी सी रह गयी कि कुछ एरियाज ऐसे थे जो फरीदाबाद कम्प्लैक्स के अन्दर समझे तो जाते थे लेकिन वह उसमें शामिल नही थे। तो बल्लभगढ़ के कुछ विलेजिज के

बारे में जो लैकूना रह गया था, उसको पूरा करने के लिये यह आर्डीनैस जारी किया गया और उसको रिप्लेस करने के लिये आज हमारे सामने एक बिल प्रस्तुत हुआ है। मैं समझता हूँ इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के अन्दर कुछ और विलेजिज आते हैं या कुद ऐडी एन्ज या आल्ट्रे एन्ज करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं एक दो बातें आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ। सरकार ने फरीदाबाद कम्पलैक्स को स्वीकार किया और फरीदाबाद कम्पलैक्स बनाया। मगर आज फरीदाबाद कम्पलैक्स को बने हुए इतने साल हो गये लेकिन जिस मकसद के लिये फरीदाबाद कम्पलैक्स बनाया गया, उस एरिया की डिवैल्पमेंट का जो आइडिया या मन् था, वह पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे एक मन् था कि यह जो बिखरा हुआ एरिया है इसे मिलाकर हमने फरीदाबाद को एक इंडस्ट्रियल टाउन की भावना में सारे देश के अन्दर एक नमूना बनाकर पेश करना था और उसके साथ ही एरिया की डिवैल्पमेंट के लिए कालोनीज बनाकर वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज की लेबर है या दूसरे लोग हैं, उनको रैजिडेन्सियल क्वार्टर्ज प्रोवाइड करना था। लेकिन हमने पिछले सालों में देखा है कि वहाँ जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, वह न होकर उल्टा विकास के अन्दर गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। कई केस मेरे नोटिस में आए हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड या दूसरी जमीन कम्पलैक्स में ली गई लेकिन उनको कम्पनसेशन नहीं दिया गया। ऐसे केसिज भी हमारे नोटिस में आए हैं जहाँ पर लोगों ने प्लॉट्स के लिए पूरे पैसे दे रखे हैं लेकिन उनको प्लॉट



का पोजै इन आज तक नहीं दिया गया। कुछ एम्पलाइज भी पीछे जिक्र कर रहे थे कि हमसे पूरा पैसा ले रखा है लेकिन अभी तक प्लॉट अलॉट नहीं किए गए हैं। फरीदाबाद कॉम्प्लैक्स बनाने का मतलब यह था, कि डिवैल्पमेंट तेजी से होनी चाहिए न कि कॉम्प्लैक्स बनने से जो डिवैल्पमेंट हो रही थी, वह भी रूक जाए। फरीदाबाद में टाउन म्यूनिसिपैल्टी है, उसका एरिया अलग है, एक सभा है उसका एरिया अलग है और फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेटर अलग है। म्यूनिसिपैल्टी और सभा जो डिवैल्पमेंट करना चाहती थी, वह भी अब नहीं कर पा रही है क्योंकि फरीदाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर इनको तेजी के साथ सारे इलाके की डिवैल्पमेंट करनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां पर जल्दी ही डिवैल्पमेंट कराएं और इसके लिए दो एक सुझाव देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हरियाणा जो एक छोटी सी स्टेट है और उसके अन्दर जो देहाती इलाके हैं उन सब की डिवैल्पमेंट होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि फरीदाबाद के सारे गांवों की जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड जो सोना देने वाली है उसको लेकर फरीदाबाद कॉम्प्लैक्स में शामिल कर लिया जाए और वहां पर ही इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी जाएं, केवल वहां पर ही रैजिडेंशियल कॉलोनीज बनें। अच्छा यह होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इंडस्ट्री प्लॉट्स हर जगह पर इंडस्ट्रीयल एस्टेट बननी चाहिए। देहातों के अन्दर इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए। और वहां पर उन किसानों के बच्चों को, जिनकी जमीन थोड़ी है, कोई दूसरा काम नहीं मिलता, काम

मिलना चाहिए। एक जगह पर ही सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी नहीं करनी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि ओल्ड फरीदाबाद की कमेटी अलग, फरीदाबाद टाउन की अलाहिदा, सभा अलाहिदा, बल्लभगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव अलाहिदा और फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेटिव अलाहिदा। उनकी बजाए वहां पर एक कार्पोरेट बनना दी जाए तो उसका सारा काम ठीक ढंग से हो सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने कुछ सुझाव फरीदाबाद काम्प्लैक्स के बारे में आपके द्वारा सरकार के सामने रखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन पर गौर करेगी। बाकी जहां तक डिसएंप्रूव्ड के मोडर्नाइजेशन का सवाल है उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देता क्योंकि उसमें एक लकूना था जो कि बिल में आबजैक्ट्स एंड रीजन्स देकर रिमूव कर दिया है और अब मुझे वह मोडर्नाइजेशन करने में कोई आपत्ति नहीं है मैं अपने इस मोडर्नाइजेशन को विद्वानों को विद्वानों करने में कोई आपत्ति नहीं है मैं अपने इस मोडर्नाइजेशन को विद्वानों को विद्वानों लेता हूँ। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि फरीदाबाद काम्प्लैक्स जिस में आशा से बनाया गया था, उसके अन्दर तेजी से काम हो और एक ही जगह पर सारी इंडस्ट्रीज कंसन्ट्रेट न करके हरियाणा के सारे कोनों में फैलायी जाए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ।

**श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो फरीदाबाद काम्प्लैक्स (रैगुलेटिव एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल, 1975 आया है, यह बहुत अच्छा

बिल है। मैं उस इलाके को अच्छी तरह समझता हूँ और मेरे साथी ने जो दो तीन बातें कही हैं, वे बिल्कुल गलत हैं। उनको उस इलाके के बारे में कोई इल्म नहीं है कि क्या कहना है फरीदाबाद के मुताल्लिक मैं बहुतत जानता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे साथी ने आखिर में कहा कि फरीदाबाद म्यूनिसिपैल्टी अलाहिदा, बल्लभगढ़ मयूनिसिपल कमेट्टी अलाहिदा, सभा अलग, फरीदाबाद ऐडमिनिस्ट्रेटन अलाहिदा। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तीन साल से फरीदाबाद ऐडमिनिस्ट्रेटन है। सारा इलाका काम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रेटन के अन्दर है और एक ही ऐडमिनिस्ट्रेटन इस इलाके में सारा इलाके के सारे काम को देखता है। इसके बाद उन्होंने कह कि काम्पलैक्स ने कुछ काम नहीं किया। मैं फरीदाबाद से एम.एल.ए. हूँ और पिछले तीन साल से हाउस के अन्दर सारी बातें बता रहा हूँ। चौधरी राम लाल यह सुनकर हैरान होंगे कि वहां कितनी तरक्की हुई है। फरीदाबाद का जो चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर है वह एक ईमानदार और यंग आफीसर है और चीफ मिनिस्टर साहब और गुप्ता जी को पिछले दो तीन साल से जब से काम्पलैक्स बना है, मैं फरीदाबाद की तकलीफों को बड़े जोर से, चिल्ला चिल्लाकर बता रहा हूँ। मैं तीन बातें आपको गिकनशाता हूँ कि कितने मार्के की चीजें वहां हुई हैं। सब से पहले काम्पलैक्स ने वहां पर मिल्क प्लांट के लिए जगह दी और मिल्क प्लांट वहां लग रहा है, दूसरी चीज अगर कोई फरीदाबाद के नक्शे को देखे तो पता लगेगा कि रोडज बना रही है, डबल रोडज बन रही है, पार्क्स बन रहे हैं (व्यवधान) मच्छरों की बाबत

भी बताता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब से मैंने मच्छरों का नाम लिया है (व्यवधान) जरा गौर से आप लोग सुनिए। हमारे चीफ मिनिस्टर ने मेहरबानी की, चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर ने मेहरबानी की, आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि एक कम्पनी से एक एग्रीमेंट किया है। 16 तारीख से काम्पलैक्स में स्प्रे होने जा रहा है और यह 20 जून तक होगा। इससे एक तिहाई मच्छर खत्म हो जाएंगे। छः महीने तक एक मच्छर दिखाई नहीं देगा और अगर कोई मच्छर हुआ तो कम्पनी को पेमेंट नहीं होगा..... (व्यवधान) यह अच्छी बात तो कहते नहीं हैं कि सरकार कोई अच्छा काम कर रही है खमखाह चिल्लाते रहते हैं। पिछले दो सालों में काम्पलैक्स ने स्कूलों में तरक्की की है, अस्पतालों में तरक्की की है, स्कूलों में कमरे बढ़े हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, काम्पलैक्स के अन्दर 17-18 गांव शामिल हैं। कुछ और इलाका शामिल होने से रहा गया था और बिल में अमेंडमेंट उसको काम्पलैक्स में शामिल करने के लिए लाई गई है। यह इलाका 1885 में अंग्रेजों के अन्दर था और 1915 में यह किसी वजह से यह इलाका काम्पलैक्स में शामिल होने से रह गया। अब यह इलाका बड़ी तेजी के साथ काम्पलैक्स के अन्दर तरक्की कर रहा है। इस काम्पलैक्स में तीन भाग हैं और 17 गांव हैं और हैं जब यह इलाका इसमें शामिल हो जाएगा तो सारा काम्पलैक्स दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। हर गांव में बिजली पहुंचाई गई, स्ट्रीट लाइट दी गई है। देहात के भाई इस काम्पलैक्स से फायदा उठा रहे हैं। वहां पर एक ओवरब्रिज भी बनाने जा रहे हैं। उस ओवरब्रिज की चीफ मिनिस्टर ने मंजूरी दे

दी है। हरिजन कालोनी भी काम्पलैक्स में बनाने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या कर्नल साहब उस कालोनी की बुनियाद रखेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, होना तो यह चाहिए कि जहां कोई खराबी है उसको दूर करने के लिए सुझाव देने चाहिए न कि हर वक्त नुकताचीनी करनी चाहिए। यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, यह बिल्कुल सही है। बगैर किसी हीलोहुज्जत के इसको पास कर देना चाहिए। मुझे खुशी है कि जो थोड़ा सा इलाका म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर था, वह इस अमेंडमेंट के जरिए इसमें शामिल हो जाएगा। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ।

**सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):**

उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि अभी सदन के सामने बतलाया गया, यह बड़ा साधारण सा संशोधन है और इस संशोधन में एक और संशोधन जिस सम्माननीय सदस्य ने रखा, आपके सामने उसने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार की कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने यह संशोधन रखा था और से वापस लेने में भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, यह संशोधन केवल एक कानूनी कमी को पूरा करने के लिये सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। जिस वक्त इसका नोटीफिकेशन हुआ तो बल्लभगढ़ म्यूनिसिपल ऐरिया को उसमें शामिल कर लिया गया लेकिन बल्लभगढ़ के साथ कुछ गांव थे जो उस नोटीफिकेशन से कवर नहीं होते थे पर काम्पलैक्स

उनको अपना हिस्सामानता रहा और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहा जैसे कि वह काम्पलैक्स का ही एक भाग हो लेकिन जब देखा गया तो वास्तव में उस नोटीफिके 11 से वह इलाका कवर नहीं होता था अतः उस कमी को पूरा करने के लिये बहुत भीघ्र ही एक आर्डिनैस जारी करना पड़ा क्योंकि ऐसी सम्भावना बन चुकी थी कि यदि कुछ भाई अदालत में चले जाते तो काम्पलैक्स को उससे बड़ा भारी नुकसान होगा। आज उसी आर्डिनैस को एक सं 10धन के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। चौधरी राम लाल जी, जो हमारे सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि काम्पलैक्स बनने के बाद फरीदाबाद में या काम्पलैक्स एरिया में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। जैसा कि गुलाटी साहब जो कि वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने भी इस सदन में कहा कि वहाँ पर विकास के बहुत सारे कार्य जारी हो चुके हैं और उन पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय फरीदाबाद के मच्छरों को लेकर, आप को अच्छी तरह से याद है कि सदन में एक मजाक चलता रहा है परन्तु वह मजाक की बात नहीं है बल्कि फरीदाबाद में बसने वाले लोगों के लिये यह एक बड़ी भारी लानत है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस लानत को खत्म करने के लिये काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रे 11 बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। जैसा कि अभी स्प्रे की बात बतलाई गई, वह स्प्रे की बात एक आरजी प्रबंध है, एक अस्थाई प्रबंध है लेकिन उसके लिये

परमानेंट इंतजाम भी किया जा रहा है और वह परमानेंट इंतजाम यह है कि फरीदाबाद टाऊनशिप में एक ऐसा कच्चा और गन्दा नाला है जहां पर माम फ़ैक्टरियां का गन्दा पानी आता है और वह एक तरह से मच्छरों का ब्रीडिंग सेंटर हुआ है उस नाले को पक्का किया जा रहा है कि उस तमाम गन्दे पानी को सीवरेज में डालकर उसका इस ढंग से डिस्पोजल किया जा रहा है कि आज जो पानी न्यू सैन्स बन कर रहा गया है वहां के लोगों के लिये, उस पानी से काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव को बड़ा भारी फायदा होगा और उस पानी का खेती के लिये उपयोग किया जाएगा। तो सब से बड़ा फरीदाबाद काम्पलैक्स जो काम कर रहा है, वह यह कर रहा है और इसके इलावा वहां पर पीने के पानी की कमी है वहां हर वाटर सप्लाई की बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई गईं और उन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये काफी धन खर्च किया जा रहा है। सड़के भी बनाई गईं हैं और गांवों के अन्दर भी बड़ी तेजी के साथ विकास के कार्य हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि जो गांव पहले पंचायत एरिया में पड़ते थे, पंचायत के साधन बड़े सीमित हैं, उनके सुविधा प्रदान कर सकें लेकिन आपको जान कर प्रसन्नता होगी कि फरीदाबाद काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ने उन ग्रामों के अन्दर भी विकास का काम किया है क्योंकि काम्पलैक्स के पास आय के बड़े बड़े साधन हैं, कितने उद्योग धन्धे लगे हुए हैं, कितने वहां पर कमर्शियल सैन्टर्स हैं, उन सब से बड़ा भारी मुनाफा होता है। वह आमदनी केवल फरीदाबाद टाऊनशिप में ही खर्च नहीं की जाती बल्कि काम्पलैक्स का जितना क्षेत्र है, चाहे ग्राम

हो, चाहे कस्बा हो, उन सब में खर्च किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा इस सदन को और विशेष रूप से चौधरी राम लाल जी को विशेष वास दिलाना चाहूंगा कि काम्पलैक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लोगो को हर प्रकार की नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिये बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और भायद चौधरी राम लाल जी की जानकारी यह यह बात नहीं है कि वहां पर तीन प्रकार की कमेटियां नहीं हैं न फरीदाबाद ओल्ड में, न बल्लभगढ़ में कोई कमेटी है और न ही टाऊनशिप में कोई कमेटी है। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काम्पलैक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव है। फरीदाबाद ओल्ड में उनका एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है, बल्लभगढ़ में लोगो की सुविधा के लिये एडमिनिस्ट्रेटर है ताकि वहां काम एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पर ही कर सके और काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का जो दफ्तर है वह फरीदाबाद टाऊनशिप में है। तो मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि अलग-अलग कमेटियां नहीं हैं। एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा ही यह काम चलता है और इसके अलावा चौधरी राम लाल जी की एक बाज मैं मानता हूं। जो उन्होंने सुझाव दिया है कि सारा कन्सन्ट्रेटिव फरीदाबाद में नहीं होना चाहिए।

**चौधरी पीर चंद:** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसा कि मंत्री महोदया ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कमेटियां



कहां—कहां है जहां कि म्यूनिसिपल कमेटियों के मेंबर है वह कौन कौन से इलाके है?

**श्री बनारसी दास गुप्त:** उपध्यक्ष महोदया, यह जिकर फरीदाबाद काम्पलैक्स का है, सारे हरियाणा का जिकर नहीं है। जब सारे हरियाणा का जिकर आयेगा तो वह भी बताऊंगा। तो मैं यह निवेदन कह रहा था कि चौधर राम लाल जी का जो सुझाव है वह बड़ा अच्छा सुझाव है और वह पूरी तरह से सरकार के ध्यान में है। सरकार इस बात की पूरी कोशिश कर रही हैं जब नये उद्योग धन्धे वाले व इंडस्ट्री वाले प्लॉट के लिये आते हैं तो उनको सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है कि हरियाणा में अन्य स्थानों पर जो उद्योग बस्तियां बन रही हैं, उन में अपना प्लॉट लेकर इंडस्ट्री लगाओ। वहां और सैक्टर बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जाता लेकिन जो सैक्टर बन चुके हैं उन को तो जरूर आबाद करना ही है। उनको आबाद करने के लिये, उनको सुविधा देने के लिये पूरी तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम्पलैक्स जागरूक है और वह पूरी तरह से काम कर रहा है। तो इन भावों से मैं आपके द्वारा सदन के सम्माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि यह साधारण सा संशोधन है, इस को एक मत से सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए।

**Deputy Speaker:** Is it the pleasure of the House that motion of Qhaudhri Ram Lal be withdrawn?

**Vices:** Yes

*The motion was, by leave of the House, withdrawn.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Deputy Speaker:** The House will now take up the Bill clause by clause.

### **Sub-clause 2 of Clause 1**

**Deputy Speaker:** Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

### **Clause 2**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

### **Clause 3**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 3 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 4**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 4 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 5**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 5 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 6**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 6 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Sub-clause (1) of Clause 1**

**Deputy Speaker:** Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the  
Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Deputy Speaker:** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Deputy Speaker:** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Irrigation and Power Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta):** Madam, I beg to move—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Bill be passed.

**Deputy Speaker:** Motion moved—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Bill be passed.

**Deputy Speaker:** Question is—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment and Validation Bill be passed.

*The motion was carried.*

ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲ (ਹਰਿਆਣਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)

ਬਿਲ, 1975

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand):  
Madam, I beg to introduce the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, 1975.

I also beg to move—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

**Deputy Speaker:** Motion moved—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

**चौधरी राम लाल वधवा (करनाल):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले तो मुझे आपके द्वारा यह निवेदन करना है कि मैंने जो अगले दोनों बिलज है उनके आर्डिनैसिज की डिस्पूवल के बारे में नोटिस दिये हैं और वह नोटिस इसलिये यहां नहीं आये होंगे क्योंकि एजेंडा पहले छप चुका होगा लेकिन इसमें एक सदस्य का कोई कसूर नहीं है। मैं आपके द्वारा यह बात नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारे रूलज में यह प्रोविजन है, उसे पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, कि जब कोई आर्डिनैस होता है तो फौरी तौर पर उसकी कापियां मेंबरान को भेजी जाये। आप देखें पांच तारीख को आज से उन हो रहा है और तीन तारीख को आर्डिनैसिज की कापियां मेंबरान को भेजी गई है और उसी वक्त मैंने उनकी disapproval के नोटिस भेज दिए थे। मैं इस बात को

ज्यादा प्रैस नही करना चाहता और बिलों पर बोल लूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने सैक्रेटेरियेट को इस बारे में कहें कि जब आर्डिनैस फरवरी में हो गया, मार्च में हो गया तो उसके बाद सारा अप्रैल खत्म हो गया लेकिन इनकी कापियां मੈबरान को क्यों नहीं भेजी गई? उसी वक्त भेजनी चाहिए थी जिससे कि मੈबरान उनको पढ़ लेते .....

**उपाध्यक्षा:** बात यह है कि आर्डिनैस गजट में छप जाते हैं और गजट की कापियां सभी मੈबरान के पास पहुंच जाती हैं।

**चौधरी राम लाल वधवा:** अगर यह बात है तो रूलज असैम्बली के बनाने की क्या जरूरत है ? एक आदमी के पास गजट आता है, फर्ज करो वह वहां नहीं है या वह उसको देख नहीं सकता लेकिन रूलज में प्रोविजन के अनुसार आर्डिनैस की कापी जानी चाहिये रूलज बनाने की क्या जरूरत है फिर तो सारा कुछ वैसे ही जान लेंगे मੈबर साहिबानं \* \* \* \* (विघ्न)

**Deputy Speaker:** I may tell the hon. Member that as soon as an ordinance is promulgated, it is published in the Gazette, a copy of which is sent to all the members. A copy each of the ordinances has also been sent.....

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Has been sent on what date? That reached us on the 3<sup>rd</sup> May.....

**Deputy Speaker:** It will be seen in the office. later on I will inform you.

**चौधरी राम लाल वधवा:** आज पांच को सैंान है, तीन तारीख को इसका एजेंडा हमें मिला है और उसी के साथ इन आर्डिनैंस की कापियां मिली है। खैर मैं आपका हुक्म मानता हूं।

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल इस वक्त सदन के सामने पेा है, मैं इसका जोरदा विरोध करता हूं। इस बिल की स्टेटमेंट आफ आब्जैक्टस एंड रिजंज मे लिख है:-

“In order to rais efunds for the Kurukshetra University the Governor of Haryana promulgated the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Ordinance, 1975 (Haryana Ordinance No. 2 of 1975), under which, for the period commencing on the 1<sup>st</sup> April, 1975 and ending with the 31<sup>st</sup> March, 1980, a surcharge at fifty per centum of ther rate of tax notified under sub-section (1-A) of section 3 of the Punjab Urban Immovable Property Tax Act, 1940, was livied in addition of the tax leviabale unde the said sub-section.

The Bill seeks to replace the said Ordinance.”

डिप्टी स्पीकर साहिबा मै दो बाते आपके द्वारा सदन के सामन रखना चाहता हूं। एक तो यह कि इस प्रकार से यह टैक्स थोड़े अर्स के लिये किसी खास पर्पज के लिये लगाते वक्त यह कहना कि देखो सरकार लोगो पर टैक्स का बोझ नही लादना चाहती है सिर्फ साद दो साल के लिये किसी खास मक्सद के लिये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डिवैल्पमेंट के लिये लगा रही है थोड़े अर्स के लिये लेकिन दूसरी तरफ लोगो की आंखों मे धूल डानी जा

रही है। और अमेंडमेंट्स ला कर इसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रापर्टी टैक्स पर पचास फीसदी सरचार्ज और आगे पांच साल के लिये लगा दिया है। अगर सरकार में ज़रूरत है तो फिर क्यों नहीं वह सीधे तरीके से टैक्स इन का बिल ला कर लोगों पर टैक्स लगा देती है और इस प्रकार से क्यों लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। एक तरफ तो यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से लोगों पर टैक्स का बोझा लादा जाता है। मुझे खुशी है कि मैंने तीन दफा यह बात सदन में रखी थी कि एक ही जायदाद पर दो किसम का टैक्स, हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स नहीं होना चाहिये और इस बारे में अभी पीछे मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया था कि सरकार इन दोनों टैक्सों को एक करने जा रही है। वह बात जब होगी तो उस वक्त देखेंगे कि किस भाकल में वह बात आती है लेकिन अब मैं यी कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर कोई टैक्स लगाना चाहती है तो सीधे तरीके से लगाये और बिल लाये लेकिन किसी पर्जज का नाम लेकर टैक्स लगाना और फिर उसे आगे से आगे बढ़ाते रहना ठीक बात नहीं है। कल मिनिस्टरज के टूर्ज के लिये पैसे की जरूरत होगी तो फिर इस पर्जज के लिये सरचार्ज लगा देंगे यह तरीका गलत है। सरकार जो भी टैक्स लगाती है वह सारा पैसे कन्सोलीडेटेड फंड में जाता है और उस फंड में से हमारे सामने रूपया बजट में आता है कि कितना रूपया किस मद पर खर्च करना है और इस बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। लेकिन अब इस तरीके से बिल ला कर सदन के



सदस्यों को गुमराह करना और जनता को गुमराह करने की कोशिश करना ठीक नहीं है एक तरफ तो यह कहना कि जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो एक टैक्स किसी खास पर्पज का नाम लेकर साल दो साल के लिये लगाया गया था, उसे इस तरह के बिल लाकर सालो साल तक आगे बढ़ाते रहना जनता को गुमराह करने वाली बात नहीं तो और क्या है? आज हरियाणा की जनता पर पहले ही टैक्सों का बहुत भार है। यह सरकार 1968 में आई और कहते हैं कि इस ने 1968 से 1974 तक बहुत काम किया और बहुत विकास के काम कर दिये लेकिन हम जब सड़कों के बारे में पूछते हैं कि फलां सड़क बीच में ही रहा गई, वह कब पूरी होगी तो कहते हैं कि फंडज नहीं हैं। उस समय जनता पर 33 करोड़ रुपये के टैक्स हुआ करते थे लेकिन पिछली जनवरी को जो बजट आया है उसमें 154 करोड़ रुपये के टैक्स जनता पर लादे गये हैं। अब फिर यह बिल लेकर आये हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिये रुपया चाहिये लेकिन मैं पूछता हूँ कि वह टैक्सों का रुपया कहाँ गया और क्या इस काम के लिये कंसौलीडेटेड फंड से रुपया नहीं आ सकता था जो इस तरह से लेने की कोशिश की जा रही है ? कल को पंचायत की बिल्डिंग बनानी है तो कहेंगे कि इस के लिये फलां टैक्स पर सरचार्ज लगाते हैं, मार्किट कमेटी की कोई बिल्डिंग बननी है तो कहेंगे कि मार्किट फी पर सरचार्ज लगाते हैं। यह तो कोई तरीका नहीं है टैक्स लगाने का। इन अलफाज के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और सरकार से कहता हूँ कि वह हरियाणा की

जनता की हालत पर रहम करे और इस बिल को वापल ले क्योंकि हरियाणा की जनता पहले ही टैक्सों के नीचे बहुत दबी हुई है।

**चौधरी दलसिंह (जींद):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो अिल सरकार ने सदन के सामने पे 1 किया है इसके जरिये सरकार पंजाब अर्बन इम्पूवेबल प्रापर्टी टैक्स ऐक्ट, 1940 की धारा 3 को तरमीम कर रही है और पांच साल के लिये इस सरचार्ज की म्याद बढ़ा रही है और यह टैक्स या सरचार्ज 1980 तक लगाना चाहती है। जब भी बजट आता है तो सरकार की तरफ से एलान होता है कि सरकार कोई टैक्स जनता पर नहीं लगायेगी लेकिन अभी बजट पास हुये डेढ़ महीना ही हुआ है कि एक आर्डिनैंस जारी कर दिया कि प्रापर्टी टैक्स पर सरचार्ज 1975 से 1980 तक और पांच साल के लिये बढ़ा दिया जाये। अगर ऐसी बात थी तो उसी वक्त बजट के वक्त ही जनवरी में क्यों नहीं यह बात सदन के सामने लाई गई और अब डेढ़ महीने के बाद आर्डिनैंस जारी करके उसे छापने और सरकुलेट करने पर हजारों रूपये खर्च कर दिये और अब यह तरमीमी बिल पे 1 कर दिया है। गवर्नमेंट द्वारा गलत खर्च करना और गवर्नमेंट की गजल नीजियों से हरियाणा का दिवाला निकल रहा है जिसकी वजह से हरियाणा की जनता पर टैक्सों का भार बढ़ता जा रहा है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। स्पीकर साहब, इन्होंने फाइनेंशियल मैमोरैंडम के अन्दर कहा है—  
“The additional expenditure involved, therefore, would be nominal.”

अगर यह 'न' के बराबर होगा तो टैक्स लगाने की क्या जरूरत है और इस टैक्स को पास साल के लिए बढ़ाने की क्या जरूरत है। पहले जब यह टैक्स मास किया था तो उसमें कहा गया था कि यह पैसा कुरुक्षेत्र के लिए चाहिए और 1975 तक कर लिया और अब फिर दोबारा अगले पांच साल तक करने जा रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटीज तो आज कल अपनी हदूद को बढ़ाती रहती है और नोटिफिके इन जारी करती रहती है कि फलां एरिया भामिल किया जाए। बहुत सी म्यूनिसिपल कमेटीज ने अपनी हदूद को बढ़ा दिया है जिसकी वजह से तमाम खेती करने वाली जमीन, एग्रीकल्चर लैंड, हजारों बीघे उसमें भामिल होती है। जिस जमीन के ऊपर प्रापर्टी टैक्स है और उस पर सरचार्ज लगता है, लैंड होल्डिंग टैक्स भी लगता है आप देखें, एक ही जमीन के ऊपर कितने ही टैक्स हो गए हैं। उस जमीन पर डबल टैक्स हो गया है यह जो टैक्स लगाने की नीति है यह गलत नीति है। इसकी आड़ में ये यही बात कहते हैं, एक ही बड़ाई करते हैं कि हम टैक्स लगाने वाले नहीं हैं लेकिन यह बात निराधार है। हमें टैक्स लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर डेग से प्रापर्टी टैक्स लगाया जाए। सरकार कम से कम यह गारंटी जरूर दे कि तमाम जमीन पर जिस पर खेती की पैदावर होती है, किसान खेती करता है और वह खेती जिस पर पहले से ही टैक्स लगा हुआ है, ऐसी जमीन को दूसरे टैक्सों से एग्जैम्प्ट किया जाए। सरकार एक कानून पास करे कि जिस जमीन पर खेती होगी उस पर प्रापर्टी टैक्स और सरचार्ज टैक्स नहीं होगा। आप सब को एक ही डंडे से

हांकना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की पुरजोर मुखालफत करता हूँ क्योंकि यह एंटी-किसान और अनडेमोक्रेटिक है।

**श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, हर मैनबर के अपने अपने विचार हैं। मैं हाउस के सामने दो मिनट के लिए अपने विचार रखूंगा। यह जो प्रापर्टी टैक्स का अमेंडिंग बिल है, यह बिल्कुल सही है और यह पुराना टैक्स है, नया नहीं है। मैं सदन में बैठे भाइयों से पूछता हूँ कि डिवैल्पमेंट के काम बिना पैसे से कैसे होंगे ? फिर यह भी कहते हैं कि तेजी से काम करने के लिए पैसा चाहिए। इसके इलावा आप यह भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्चा बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, इसके लिये पैसे की आवश्यकता है लेकिन इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर सरकार इस अमेंडिंग बिल के साथ साथ हाउस टैक्स और प्रोफैसिनल टैक्स को प्रोपर्टी टैक्स में मर्ज कर देते और प्रोपर्टी में मर्ज कर देते और प्रापर्टी टैक्स को रिवाइज कर देते तो बड़ी खुशी की बात होती। वाकई आज इस बात की आवश्यकता है, पब्लिक की बड़ी भारी डिमांड है कि प्रोफैसिनल टैक्स और हाउस टैक्स को प्रापर्टी टैक्स में मर्ज कर दिया जाए। अगर ऐसा होता तो मुझे खुशी होती लेकिन मैं जानता हूँ कि यह अमेंडमेंट सरकार थोड़ी देर बाद ले आएगी। यह जो सरचार्ज लगाया है यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरक्की के

लिए लगाया गया है जो कि एक नई किस्म की यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी तरक्की होगी तो हमारी स्टेट की तरक्की होगी इसलिए इस बिल पर खहमखाह मे बोलना अच्छा नहीं है लेकिन हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। मैं इसकी ताईद करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसको इत्तफाक राय से पास किया जाए।

**आबकारी एवं कराधार मंत्री (श्री भयाम चंद):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि गुलाटी साहब ने बता या है कि यह नया टैक्स नहीं है, पुराना है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस पर सरचार्ज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी कि इसको अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया जाए। सारे आनरेबल मेंबर्ज को पता है कि हरियाणा के जितने कालेजिज थे, वे पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिड थे। लेकिन पिछले साल से यह कालेजिज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मे मिला दिए गए है। ज्वांयटपंजाब मे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की इतनी डिवैल्पमेंट नहीं हुई थी जिमनी होनी चाहिए थी। इसकी डिवैल्पमेंट करने के लिए रूपये की जयरत थी। यही वजह हे कि प्रापर्टी टैक्स के ऊपर 50 फीसदी सरचार्ज लगाया जाकि उसकी डिवैल्पमेंट हो। वहां पर बिल्डिंग बननी है, स्टाफ की जरूरत है, लैबोरेटरी का सामान लेना है। इसके लिए यह बिल सरकार हाउस के सामने लाई है। इस साल क्योंकि सारे हरियाणा के कालेजिज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिड हो गए है, अब यह यूनिवर्सिटी रैजिडेंसियल यूनिवर्सिटी नहीं रही बल्कि

एफिलिएटिड यूनिवर्सिटी है इसलिए फंडज की कमी होना जरूरी है। इस कमी को पूरा करने के लिए, डिवलपमेंट करने के लिए सरकार अगले पांच साल तक इस सरचार्ज को आगे बढ़ाना चाहती है। जहां तक चौधरी राम लाल जी के औब्जैक्टिव का ताल्लुक है कि टैक्स पर टैक्स लगा रहे है, यह गलत बात है, यह नया टैक्स नहीं है मैं सदन की इंफर्मेसन के लिए इतना ही बता देना चाहूंगा कि 1971-72 में 27 लाख रुपया, 1972-73 में 26 लाख रुपया, 1973-74 में 29 लाख रुपया और 1974-75 में 33 लाख रुपया सरचार्ज लगातार इसी डिवलपमेंट के लिए सरकार ने दिया है। अगर 30-35 लाख रुपये का टैक्स जनता पर बोझ लगता है और चौधरी राम लाल जी कहते है कि सरकार जनता को गुमराह करती है तो यह अच्छी बात नहीं है। हम सरचार्ज इसलिए लगाते है ताकि वहां पर एजुकेशन का फैलाव हो। चौधरी राम लाल जी को बता देता हूं कि हम जनता को गुमराह नहीं करते बल्कि जनता को पढ़ाते है। प्रापर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को मर्ज करने के बारे में पहले ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, यह काम भी बिल्कुल active consideration में है कि इनको मर्ज करके एक टैक्स बना दे और जितनी भी दिक्कतें है, मैं समझता हूं इससे उनका हल होगा। इन भाबदों के साथ मैं आनरेबल मेंबर्ज से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

About House Tax and Property Tax, we will try to see that the difficulties are removed and both these taxes are

merged. With these words, I request the hon. Members to pass this Bill.

**Deputy Speaker:** Question is—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Deputy Speaker:** The House will now take up the Bill clause by clause.

### **Clause 2**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

### **Clause 3**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 3 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

### **Clause 1**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

### **Enacting Formula**

**Deputy Speaker:** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

### **Title**

**Deputy Speaker:** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Sh. Shyam Chand:** Madam, I beg to move—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be passed.

**Deputy Speaker:** Motion moved—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be passed.

**Deputy Speaker:** Question is—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be passed.

*The motion was carried.*

दी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमेंडमेंट एण्ड वैलीडे 1न)



बिल, 1975

**Irrigation and Power Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta):** Madam, I beg to introduce the Indian Electricity (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1975.

I also beg to move—

That the Indian Electricity (Haryanam Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**Deputy Speaker:** Motion moved—

That the Indian Electricity (Haryanam Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**Deputy Speaker:** Question is—

That the Indian Electricity (Haryanam Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Deputy Speaker:** The House will now take up the Bill clause by clause.

### **Clause 2**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

### **Clause 3**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 3 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 4**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 4 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 5**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 5 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 6**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 6 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Deputy Speaker:** Question is—

That clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Deputy Speaker:** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Deputy Speaker:** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Sh. Banarsi Dass Gupta:** Madam, I beg to move—

That the Indian Electricity (Haryanam Amendment and Validation) Bill be passed.

**Deputy Speaker:** Motion moved—

That the Indian Electricity (Haryanam Amendment and Validation) Bill be passed.

**Deputy Speaker:** Question is—

That the Indian Electricity (Haryanam Amendment and Validation) Bill be passed.

*The motion was carried.*

**Deputy Speaker:** The House stands aduourned till 2 P.M. tomorrow.

*(The Sabha then adjourned\* till 14.00 O'clock on Tuesday, the 6<sup>th</sup> May, 1975.)*